अनुक्रमणिका

अनु क्र.	अध्याय	पृष्ठ
	प्रस्तावना	
1.		
2.	संगठन की भूमिका और कार्य	
3.	संगठन की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	
4.	प्रशासन, बजट और अवसंरचना	
5.	विभागीय परीक्षण केन्द्र और आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	
6.	ई-गवर्नेन्स	
7.	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की महत्वपूर्ण बैठके-संगोष्ठी-व्याख्यान-प्रशिक्षण कार्यक्रम- विदेश यात्राएं	
8.	सेवाओ में एससी/एसटी/ओबीसी/एक्स-सर्विसमेन तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व	
9.	सतर्कता की गतिविधियां	
10.	राजभाषा का प्रयोग	
11.	अनुज्ञप्त /अनुमोदित परिसरों का निरीक्षण	
12.	दुर्घटना की जाँच	
	परिशिष्ट	
1	पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढाँचा	
2	पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अंचल तथा उप-अंचल कार्यालयों का क्षेत्राधिकार	
3	संगठन के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद	
4	वर्ष 2010-2011 के दौरान विस्फोटको का उत्पादन	
5	विस्फोटकों का आयात एवं निर्यात	
6	विस्फोटको का निस्तारण	
7	उत्पादन, आयात और निर्यात (गैस सिलेण्डर तथा वॉल्व)	
8	एलपीजी तथा ऑटो एलपीजी सिलेण्डरों के लिए वॉल्व के विनिर्माताओं की सूची	
9	एलपीजी सिलेण्डरों, एलपीजी रेगूलेटरों तथा मल्टी फंक्शन वॉल्व के अलावा एलपीजी सिलेण्डरों के नए विनिर्माताओं की सूची	
10	ऑटो एलपीजी कंटेनरों के नए विनिर्माताओं की सूची	
11	मान्यता प्राप्त स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र(अ)नियम, 1981 के अंतर्गत दाबपात्रों के स्टेजवाईस निरीक्षणों के लिए नए थर्ड पार्टी निरीक्षण एजन्सियाँ	
12	एसएमएस विनिर्माताओं की सूची	
13	पेट्रोलियम वेसल्स का परीक्षण तथा कोर्ट हाजिरी	
14	रिफायनरी का कार्य	

प्रस्तावना

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पूर्व मे विस्फोटक विभाग) दिनांक 09.09.1898 को स्थापित किया गया था जो प्रारंभ से ही जोखिम वाले, जैसे विस्फोटक विनिर्माण, संपिडित गैसों तथा पेट्रोलियम से संबंधित परिसरों के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है । इस संगठन ने जोखिम वाले पदार्थों के विनिर्माण/परिष्करण, भण्डारण, परिवहन, हैण्डलिंग, आदि के सुरक्षा से संबंधित विषयों में एक सदी से भी अधिक समय से एक अग्रणी संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है । संगठन ने अस्सी के दशक के अंतिम वर्षो तक अपने सामान्य वैधानिक दायित्वों के अतिरिक्त जन सुरक्षा, पर्यावरण जैसे विषयों पर भी स्वेच्छापूर्वक उत्कृष्ट स्तर की भूमिका निभाई है जिनमें विस्फोटकों का परिक्षण एवं डिस्पोजल, इम्प्रोवाईज्ड विस्फोटक डिवाइसेस शामिल हैं । इनमें से कुछ देश के स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों आदि के दौरान राष्ट्रीय महत्व के थे । पिछले सदी के अंतिम दशक तक इस संगठन के अधिकारियों ने पूरे भारत वर्ष में एन्टी-सैबोटेज-चेक एवं अति विशिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा एवं विभिन्न एयरपोर्टो की सुरक्षा का दायित्व भी पूरा किया । इस संगठन ने देश के पुलिस/सुरक्षा एवं गुप्तचर कर्मियों को विस्फोटकों/विस्फोटक डिवाइसेस एवं अन्य विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने, उनके परीक्षण व उनके डिस्पोजल के बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रशिक्षण देने का कार्य किया, क्योंकि इस तरह की कोई अन्य एजंसी इस देश में नही थी । पिछले कई वर्षों में इस संगठन की गतिविधियों में कई गुना बढोत्तरी तथा अनेक क्षेत्रों में विस्तार हुआ है । वर्तमान में यह संगठन विस्फोटक, पेट्रोलियम, संपिडित गैसों, दाब पात्र, गैस सिलेण्डरों, पेट्रोलियम/ संपिडित गैसों की पाईपलाईन्स, एलएनजी, सीएनजी, ऑटो एलपीजी आदि से जुडे व्यापक विषयों का कार्यभार संभाल रहा हैं ।

यह संगठन जिसमें लगभग 94 अधिकारी ही वर्तमान में कार्यरत है और आकार में अनेक सरकारी विभागों से काफी छोटा होने के उपरांत भी एक ऐसा संगठन है जो सीधे रूप में 2.24 लाख से भी अधिक जोखिम वाले परिसरों की सुरक्षा में कार्यरत है तथा अनेक उद्योगों और उपयोगकर्ता कंपनियों को तकनीकी एवं सुरक्षा मार्गदर्शन देता हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालयों, रेलवे, जहाजरानी, भूतल परिवहन, पर्यावरण एवं वन, नागरिक उड्डयन और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रतिष्ठान समाहित हैं ।

प्रारंभ में इस संगठन का दायित्व विस्फोटक अधिनियम (1884 का 4) को लागू करना था, जिसमें उस समय मौजूद विस्फोटक भंडारण मैगजीनों का निरीक्षण तथा विस्फोटको के भण्डारण एवं परिवहन से संबंधित होने वाली दुर्घटनाओं की जाँच तक ही सीमित था । इसके उपरांत दिनांक 17.02.1899 को लागू पेट्रोलियम अधिनियम (1899 का 8) तथा दिनांक 11.08.1899 को इस

अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कैलशियम कार्बाईड नियमों का अनुपालन भी इस विभाग को सौंपा गया ।

पूरे देश में इन नियमों के संबंध मे एक समानता लाने के उद्येश्य से चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोझिव्स ने नये नियमों को लागू करने का प्रयास किया जो कि सभी की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुरूप थे । अंतत: दिनांक 30.03.1937 को पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 को अनुसूचित किया गया जिसने उस समय लागू विभिन्न राज्यों व केन्द्र के नियमों को समाप्त कर दिया । दिनांक 18.03.1937 को एक समेकित कैलशियम कार्बाईड नियम भी लागू किया गया । अपने देश की स्वतंत्रता के उपरांत जोखिम परंतु उपयोग वाली सामग्री जैसे विस्फोटक, पेट्रोलियम आदि को भारत गणराज्य की युनियन सूची में स्थान प्राप्त हुआ । तत्पश्चात पेट्रोलियम नियम 1937 को सम्यक रूप से पुनरीक्षित कर उसके स्थान पर पेट्रोलियम नियम, 1976 लागू किये गये जिन्हे वर्तमान परिस्थितियों, नई तकनीक के आ जाने तथा राज्यसभा की कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुये नये पेट्रोलियम नियम 2002 लागू किए गए ।

इस लंबे समय के बाद विस्फोटक नियमों में भी कई बदलाव एवं संशोधन किये गये जिसके कारण विस्फोटक नियम 1918 को विस्फोटक नियम 1940 द्वारा पुनरीक्षित किया गया, जिन्हे पुन: विस्फोटक नियम 1983 के द्वारा बदला गया । उपरोक्त नियमों को पुन: बृहत रूप से समालोचित कर विस्फोटक नियम 2008 दिनांक 29.12.2008 से लागू किए गए है ।

वर्ष 1952 में ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम लागू हुआ । गैस सिलेण्डर नियम जो मूलतः 1940 में बनाए गये थे, उन्हे नए बृहत गैस सिलेण्डर नियम 1981 से प्रतिस्थापित किया गया । भारत सरकार की उदारीकरण नीति के कारण दिनांक 21/08/2004 से लागू इन नियमों को पुन: पुनरीक्षित कर नए गैस सिलेंडर नियम, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

अज्वलित दाब पात्र में प्रपुंज संपिडित गैसों के दाब पात्र में सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन हेतु पहली बार स्थिर तथा गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम 1981 को देश में लागू किया गया । नये क्षेत्र जैसे क्रायोजेनिक लिक्विड्स, ऑटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन, आदि को समाहित करने हेतु इन नियमों को समय-समय पर उचित रूप से संशोधित किया गया ।

इस संगठन ने अपनी जटिल कार्यप्रणाली व संवर्धित उत्तरदायित्वो जिनमें इस विशाल देश के कोने-कोने में सुरक्षा प्रावधानो को लागू करना शामिल है, को सुचारू रूप से अनुपालन किये जाने तथा कार्यप्रणाली को आधुनिक रूप देने हेतु सूचना प्रौद्यौगिकी द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न उपकरणों /मोडयुलो का उपयोग करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप इस संगठन के सभी कार्यालयों का एक नेटवर्क, जिसका सेंट्रल सर्वर नागपुर में स्थापित है, गठित किया गया है । साथ ही संगठन के सभी डाटा बेस को डिजीटाईज्ड कर आम जनता की पहुँच इस डाटा बेस तक उपलब्ध कराई गई है । संगठन की वेबसाईट पर सभी जनसदस्य अपने आवेदनो की स्थिति जान सकते है । इस संगठन का उद्येश्य

आधुनिक तकनीक, नई कम्प्युटरीकृत कार्यप्रणाली, उन्नत मानवशक्ति का उपयोग कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण देकर अपने आप को एक विशिष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करना है । जिस तरह सुरक्षा के क्षेत्र में सभी संबंधित उद्योंगो, विभिन्न सरकारी विभागो/संस्थानो तथा स्वायत्त निकायों द्वारा जोखिम वाले पदार्थों के हैण्डलिंग में संगठन की सलाह मांगी जाती है, उससे सदी में संगठन द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा प्रमाणित होती है ।

सबसे कुशल तकनीकी कार्य बल, काम करने की अनुकूल स्थिति, सक्रिय दृष्टिकोण, ज्ञान संवर्धन में उन्नयन, आईटी तकनीक का परिनियोजन और समस्त सुरक्षा की सेवा हेतु समर्पण से युक्त होने से आने वाले वर्षो में संगठन उत्कृष्टता की नई उँचाईयों की ओर अग्रसर है ।

टी. आर. तोमस
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

अध्याय 2

संगठन की भूमिका और कार्य

अग्नि और विस्फोटों से जनजीवन तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संगठन को एक संविधिक प्राधिकरण के रूप में, विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम,1952 तथा इन अधिनियमों के तहत बनाए गए निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत जिम्मेदारियां सौंपी गई हैः-

<u>विस्फोटक अधिनियम 1884 :</u>

1. विस्फोटक नियम, 2008
2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012
3. गैस सिलेन्डर नियम, 2004
4. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981
5. एसिटिलिन जनरेटर से संबंधित अधिसूचना सं. जीएसआर 625(ई) दि.07.08.1983

<u>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 :</u>

1. पेट्रोलियम नियम, 2002
2. कैलशियम कार्बाईड नियम, 1987
3. चलचित्र फिल्म नियम, 1948

उपरोक्त अधिनियमों और नियमों के संचालन से संबंधित संगठन की भूमिका / गतिविधियों को संक्षेप मे नीचे वर्णित किया गया है :-

2.1: वैधानिक भूमिका

विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत संगठन की वैधानिक भूमिका निम्नानुसार है :-

2.1.1: <u>विस्फोटक नियम, 2008</u>

विस्फोटकों के विनिर्माण, प्राधिकरण, भण्डारण, आयात/निर्यात, सडकों से परिवहन और उनके पैकेजिंग, आदि के लिए अनुमोदन, अनुज्ञप्ति जारी करना, विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत प्रमुख कार्य हैं जिसमें उपकरणों और मशीनों सहित विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए सुरक्षित प्रणालियों और तरीकों का निर्धारण किया जाता हैं । संगठन विस्फोटकों से जुडे दुर्घटनाओं की जांच करता हैं और जन सुरक्षा के हित में अनुपयोगी /जब्त विस्फोटकों का नष्टीकरण करता हैं ।

संगठन अनुज्ञप्ति/अनुमोदन जारी करते समय नए परिसरों के सत्यापन/पृष्ठांकन हेतु निरीक्षण तथा सुरक्षा जांच करता हैं तथा अनुज्ञप्त/अनुमोदित परिसरों का आवधिक निरीक्षण भी करता हैं ।

2.1.2: <u>अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012</u>

दिनांक 10 दिसंबर 2008 को अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2899 (ई) के द्वारा केन्द्र सरकार ने "अमोनियम नाइट्रेट या उसके संयोजन" को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक विशेष वर्ग विस्फोटक पदार्थ के रूप में को निर्दिष्ट किया है । इसके अतिरिक्त, अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1678(ई) दिनांक 21 जुलाई 2011 के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट जिसका रासायनिक सूत्र NH_4NO_3 है या किसी भी संयोजन में वजन में 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट होने पर, जिसमें इमल्शन, सस्पेन्शन्स, मेल्ट्स या जेल्स (अकार्बनिक नाइट्रेट के साथ या उसके बिना) शामिल हैं, विस्फोटक अधिनियम 1884 के अर्थ के अंतर्गत विस्फोटक समझा जाएगा ।

अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, जहाजीकुली और बैगिंग, आयात, निर्यात, परिवहन, अमोनियम नाइट्रेट को बिक्री या उपयोग हेतु रखने पर नियंत्रण रखने के लिए, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.553(ई) दिनांक 11 जुलाई 2012 के द्वारा, अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 प्रकाशित किए ।

निर्माण कार्य योजना का अनुमोदनए अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और बिक्री हेतु रखने के लिए अनुज्ञप्ति या द्रव का ठोस में या विलोमत: रूपांतरण, जहाजीकुली, बैगिंग, भंडारण, अमोनियम नाइट्रेट को बिक्री या उपयोग हेतु रखने के लिए, परिवहन, आयात, निर्यात हेतु अनुज्ञप्ति से अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अंतर्गत प्रमुख कार्य संबंधित है

संगठन द्वारा जनता की सुरक्षा हेतु उन दुर्घटनाओं की जांच की जाती है जिनमें अमोनियम नाइट्रेट शामिल है तथा बेकार/जब्त अमोनियम नाइट्रेट को नष्ट भी किया जाता है ।

2.1.3: <u>गैस सिलेण्डर नियम, 2004</u>

भारत सरकार की अधिसूचना सं. एम-1272(1) दि. 28 सितम्बर 1938 में पहली बार गैस सिलेण्डर नियम प्रकाशित हुए थे जिसमे यह घोषित किया गया कि कोई भी गैस जो मेटल कंटेनर मे संपीडित या द्रवित रूप मे अंतर्विष्ट है, वह विस्फोटक अधिनियम 1884 के अर्थ के अंतर्गत- विस्फोटक हैं । स्वतंत्रता के पश्चात गैस उद्योग मे विकास के मद्देनजर व्यापक पुनरीक्षण के पश्चात उपरोक्त नियम गैस सिलेण्डर नियम, 1981 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए है । अस्सी और नब्बे के दशक मे गैस

उद्योग एवं इससे जुडे उद्योगो के कारण महापुंज विस्तार हुआ, जिसका कारण आर्थिक उदारीकरण एंव वैश्वीकरण, एलपीजी का घरेलु एवं औद्योगिक ईंधन के रूप मे उपयोग, पर्यावरण संरक्षित आटोमोटिव ईंधन के रूप मे सीएनजी और एलपीजी का परिचय, नई तकनीक, आदि का आगमन जिसके परिणाम स्वरूप संशोधन कर नया गैस सिलेण्डर नियम, 2004 बनाया गया ।

इन नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख कार्य सम्मिलित है:-

सिलेण्डर, वॉल्व, एलपीजी रेगुलेटरो के विनिर्माण इकाइयो को अनुमोदन प्रदान करना तथा इन उपकरणो का डिजाईन अनुमोदन, गैस भरण संयंत्र, सीएनजी फ्युलिंग स्टेशन्स, सिलेण्डर भण्डारण परिसरो तथा सिलेण्डरो/ वॉल्व के आयात का अनुज्ञप्तिकरण, सिलेण्डर भरण अनुमति, सिलेण्डर परीक्षण केन्द्र, आदि को मान्यता, सिलेण्डरो, वॉल्व, रेगुलेटरो, आदि के मानको के बनाने मे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । संगठन इन नियमो के अनुपालन को सुनिश्चित कर सुरक्षा जागृकता लाने के उद्देश्य से गैस इन्स्टॉलेशन, भरण संयंत्र, सीएनजी फ्युलिंग स्टेशन, सिलेण्डर, वॉल्व तथा रेगुलेटर विनिर्माण इकाइया, आदि जो उपरोक्त नियमो के अंतर्गत अनुमोदित/अनुज्ञप्त है, की नियमित रूप से संपरीक्षा करता है ।

नियमो के विनियमन तथा सरलीकरण के संदर्भ मे गैस सिलेण्डर नियम, 2004 की मुख्य विशेषताएँ हैं :-

क 2500 लि. क्षमतावाले स्पेशल कंटेनरो तथा नॉन-मेटालिक मटेरियल से बने कंपोजिट सिलेण्डरों को गैस सिलेण्डर नियमों के अंतर्गत लाने के लिए इन नियमों की व्याप्ती बढाना।

ख भरे हुए सिलेण्डरों को बिना अनुज्ञप्ति रखने की छूट की सीमा बढाना और अनुज्ञप्ति प्रदान करना तथा नवीकरण की अवधि बढाना ।

ग भरण संयंत्र के निर्माण, सिलेण्डरो के एक गैस सर्विस से दूसरे मे परिवर्तित करना तथा अविषैली अज्वलनशील गैसो का सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच सिलेण्डर-भरण तथा इन सभी के लिए विनिर्देशो तथा प्लान के पूर्वानुमोदन की जरूरतो को पूर्ण करना ।

घ अनुज्ञप्तीधारक की मृत्यु या स्वामित्व बदलने पर अनुज्ञप्ति के अंतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण।

2.1.4: **स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981**

इन नियमों के प्रशासन से संबंधित संगठन के कार्य निम्नलिखित हैं :-

दाब पात्र सेफ्टी फिटिंग के फैब्रिकेशन शॉप और उनके डिझाइन हेतु अनुमोदन, संपिडित गैस के भण्डारण के अधिष्ठापनों तथा सडकों द्वारा उन गैसों के परिवहन हेतु अनुज्ञप्तियां, पात्रों के आयात हेतु अनुमति, पात्रों के निर्माण/ सुधार, अंतिम परीक्षण और आवधिक परीक्षण के समय निरीक्षण तथा प्रमाणित करने के लिए अभिकर्ताओं/सक्षम व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना ।

संगठन द्वारा नए परिसरों को अनुज्ञप्तियां/अनुमोदन प्रदान करते समय सत्यापन/पृष्ठांकन हेतु निरीक्षण और सुरक्षा जांच की जाती है और आवधिक निरीक्षण भी किया जाता हैं । उपरोक्त कार्यो में

सुरक्षा जांच, निरीक्षण रिपोर्टो का आवधिक परीक्षण तथा पात्रो फैब्रिकेटर्स और प्रमाणन एजंसियों के कार्य-निष्पादन का पुनरीक्षण भी शामिल हैं ।

2.1.5: **एसिटिलीन संबंधी दिनांक 07.08.1983 की अधिसूचना सं.जीएसआर. 625-(ई)**

एसिटिलीन जब द्रव हो या दबाव में हो या वायु या आक्सीजन के साथ मिश्रण में हो, तो वह अति विस्फोटक होती है । एसिटिलीन का उत्पादन और एसिटिलीन जनेरेटर का अनुमोदन इस अधिसूचना के अंतर्गत शासित है । संगठन एसिटिलीन जनेरेटर के विभिन्न प्रकार तथा एसिटिलीन संयंत्र को अनुमोदन प्रदान करता है । कार्यरत एसिटिलीन सिलेण्डर फिलिंग संयंत्र के नियमित निरीक्षणों के अलावा, प्रत्येक जनेरेटर निष्पादन का मूल्याकंन करने के साथ ही उनकी योग्यता के निर्धारण हेतु विनिर्माता के स्थान पर एसिटिलीन जनेरेटर विनिर्माण सुविधाएं तथा जनेरेटर स्थापित किए गए कारखानों में, अधिकारियों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के साथ संयुक्त रूप से जनरेटरों के ट्रायल रन लिए जाते है ।

2.1.6: **पेट्रोलियम नियम, 2002**

अधिनियम और नियमों के अंतर्गत पेट्रोलियम को हायड्रोकार्बन द्रव या हायड्रोकार्बन द्रव का मिश्रण और हायड्रोकार्बन द्रव मिले हुए किसी ज्वलनशील मिश्रण से परिभाषित किया गया है । इन नियमों के प्रशासन संबंधी निम्नलिखित कार्यो के अनुमोदन समाविष्ट हैं-

रिफाईनरियों, पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस निर्मिति संयंत्र, पेट्रोल का भूमिमार्ग व पाइपलाईनों द्वारा परिवहन, ऐसे स्थानों पर जहां ज्वलनशिल गैस तथा वाष्प भरी हों, वहां उपयोग में लाए जाने वाले अन्य उपयुक्त संरक्षित बिजली के उपकरण और अन्य सुरक्षा उपकरणों को फ्लेमप्रूफ करना, पेट्रोलियम डिस्पेन्सिंग/सर्विस स्टेशन, पेट्रोलियम स्टोरेज अधिष्ठापन, सडकों द्वारा परिवहन करने हेतु टैंक-ट्रकों की अनुमति, एयरक्राफ्ट रिफ्युलर का अनुज्ञप्तिकरण और साथ ही डॉक एन्ट्री , मॅन एन्ट्री और हॉट वर्क हेतु पेट्रोलियम ले जा रहे पात्रों/जहाजों को गैस-फ्री सर्टिफिकेट प्रदान करना ।

2.1.7: **कैलशियम कार्बाईड नियम, 1987**

कैलशियम कार्बाईड को ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ घोषित किया गया है और उसके लिए पेट्रोलियम अधिनियम लागू किया गया है । कैलशियम कार्बाईड नमी के साथ जुडकर एसिटिलीन गैस निर्मित करती है, जिसकी विस्फोटक सीमांए अति विस्तृत है । कैलशियम कार्बाईड को भरने के पात्रों को अनुमोदन देने तथा बिक्री या एसिटिलिन के निर्माण हेतु कैलशियम कार्बाईड के भण्डारण के लिए अनुज्ञप्तियां देने का कार्य इन नियमों के अंतर्गत संगठन को सौंपा गया है ।

2.1.8: **चलचित्र फिल्म नियम, 1948**

चलचित्र फिल्मों, जिनमें नाइट्रो-सेलुलोज आधार रहता है, उनका भण्डारण और परिवहन बडे पैमाने में अग्नि बाधा उत्पन्न करते हैं । इन नियमों के अंतर्गत ऐसी फिल्मों के भण्डारण और परिवहन

का कार्य शासित है तथा भण्डारण के परिसरों का अनुज्ञप्तिकरण इस संगठन द्वारा किया जाता है । काफी समय से नाइट्रो-सेलुलोज आधारित फिल्मों से सुरक्षा फिल्मो (पॉलिएस्टर आधार) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हैं । अतः यह नियम निरर्थक हो गए हैं तथा इन्हें हटाए जाने की सिफारिश की गई है ।

2.2 परामर्शकारी भूमिका

विस्फोटकों, पेट्रोलियम, कार्बाईड ऑफ कैलशियम, गैस सिलेण्डर्स, दाब पात्रों और अन्य खतरनाक वस्तुओं मे आग और विस्फोट रोकने हेतु विशेष तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं में विशेषज्ञता लिए, संगठन परामर्श प्रदान करता है । संगठन न केवल उद्योग के लिए वरन सरकारी तथा अन्य संस्थाएं जैसे बंदरगाह, रेलवे, रक्षा-संगठनों, भूतल परिवहन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, आदि के लिए भी परामर्श प्रदान करता हैं ।

संगठन भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित मानको के फॉरमुलेशन, बंदरगाहों के उप-नियम, इंडियन रेड टैरिफ और खतरनाक वस्तुओं के रेल-मार्ग, भूमि-मार्ग, जल-मार्ग और वायु-मार्ग संबंधित परीवहन के विनियमनों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा गठित सेंट्रल क्रायसिस ग्रूप के सदस्य हैं और अन्य अधिकारी भी राज्य तथा जिला स्तर पर सेंट्रल क्रायसिस ग्रूप का प्रतिनिधित्व करते है ।

संगठन के कार्यों का संक्षिप्त विवरण

3.1 निम्नांकित के सम्बन्ध में साईट-ले-आउट व विनिर्माण नक्शों की संवीक्षा तथा मूल्यांकन(अप्रैजल) :

- विस्फोटक विनिर्माण कारखाने
- विस्फोटक भंडारण परिसर
- अमोनियम नाइट्रेट परिसर
- आतिशबाजी विनिर्माण कारखाने
- आतिशबाजी गोदाम तथा दूकाने
- बल्क मिक्सींग तथा डिलीवरी वाहनो (बी.एम.डी) द्वारा साईट पर विस्फोटकों का उत्पादन
- गैस सिलेण्डर भरण संयंत्र
- सीएनजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन
- गैस से भरे सिलेण्डरों के लिये भंडारण शेड
- दाब पात्रों में संपिडित गैसेस हेतु प्रपुंज भण्डारण अधिष्ठापन
- आटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन
- पेट्रोलियम भंडारण शेड
- पेट्रोलियम टैंक लॉरिज
- पेट्रोलियम क्रास-कंट्री पाईपलाईन्स
- पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन
- कैलशियम कार्बाइड भंडारण परिसर

3.2: विस्फोटक वॅन, बल्क मिक्सींग तथा डिलीवरी वाहनो (बी.एम.डी) द्वारा साईट पर विस्फोटकों का उत्पादन, दाबपात्रों में बल्क संपीडीत गैस/क्रायोजनिक लिक्विड के परिवहन के लिए वाहन, सुरक्षा फिटिंग सहित पेट्रोलियम कंटेनर और टैंक लॉरी के डिजाईन व रचना, इन सभी प्रस्तावो के अनुमोदन हेतु संवीक्षा तथा उनका मूल्यांकन ।

3.3: उपरोक्त संदर्भित 3.1 तथा 3.2 के अंतर्गत परिसरों/ईकाइयों/वाहनों आदि के अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित कार्य ।

3.4: अनुमोदन जारी करने हेतु पेट्रोलियम परिष्करणों, पेट्रोकेमिकल इकाइयों, कैलशियम कारबाईड कारखानो तथा एसीटीलीन गैस जनरेटिंग संयंत्र के लेआउट, आदि की संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.5: लिक्विड हायड्रोकार्बन्स के साथ-साथ अन्य ज्वलनशील गैसेस/खतरनाक रसायनों हेतु डिजाईन, निर्माण, पाईपलाईन के लेईंग एवं ऑपरेशन आदि के प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.6: भारत मे निर्मित और आयातित दाब पात्रों तथा उनके फिटिंग्स के डिजाईन प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.7: एलपीजी रेगुलेटरों सहित भारत मे निर्मित और आयातित गैस सिलेण्डरों तथा उनमें लगे वॉल्वों के डिजाईन प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मूल्यांकन ।

3.8: भारत मे निर्मित और आयातित अज्वलनशील, आंतरिक रूप से सुरक्षित तथा ज्वलनशील गैसो/वाष्पों से भरे संकटपूर्ण स्थानों के लिए उपयोगी विशेष विद्युत उपकरणों के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।

3.9: दाबपात्र और उनकी फिटिंग निर्माण करनेवाले कारखानों के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।

3.10: सिलेण्डर परीक्षण केन्द्रो को मान्यता प्रदान करने के लिए सिलेण्डरों के आवधिक परीक्षण हेतु परीक्षण केन्द्रो के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए उनकी संवीक्षा तथा मूल्यांकन ।

3.11: विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम व्यक्तियों एवं निरीक्षकों को मान्यता ।

3.12: शॉट फायरर परमिट और फोरमेन प्रमाणपत्र जारी करना ।

3.13: उपरोक्त उल्लिखित ईकाइयों की नियमित जाँच ।

3.14: खराब, दावा न किए हुए /अनुपयोगी/जब्तशुदा विस्फोटकों का नष्टीकरण ।

3.15: हॉट वर्क, पेट्रोनियम टैंको में मॅन एन्ट्री तथा डॉक में इन पात्रों के प्रवेश होने से पूर्व इनके लिए गैस-फ्री प्रमाण पत्र देने के लिए पात्रों का परीक्षण करना ।

3.16: विभाग द्वारा संचालित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत आने वाले पदार्थो से जुडी दुर्घटनाओ के कारण एवं किए गए उल्लंघन को जानने हेतु दुर्घटनाओं की जाँच करना

3.17: विस्फोटकों के आयात, निर्यात एवं परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना ।

3.18: पर्याप्त परीक्षण और जाँच के बाद नये विस्फोटकों को अधिकृत करना ।

3.19: आयात किए हुए और भारत में निर्मित सभी गैस सिलेण्डरों के भरण/उपयोग के लिए अनुमति देना ।

3.20: गैस सिलेण्डरों एवं दाबपात्रों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति/परमिट जारी करना ।

3.21: विभिन्न नियमों के अंतर्गत आवधिक विवरणी की संवीक्षा ।

3.22: नियमो में संशोधन एवं पुनरीक्षण तथा जन-सुरक्षा में, जहां भी जरूरी हो, छूट देना ।

3.23: बन्दरगाह, हवाई अड्डा और रेलवे अधिकारीयों को निम्नलिखित हेतु अनुरोध पर सलाह:-

- परिसंकटमय वस्तुओं का वर्गीकरण।
- खतरनाक वस्तुओं का भंडारण/परिवहन के लिए पैंकिग व शर्तो का निर्धारण।
- विस्फोटकों को लादने/उतारने और परिवहन की सुविधाओं के लिए स्थान, विस्फोटक, ज्वलनशील एवं अन्य खतरनाक पदार्थों के ट्रांजिट भंडारण के लिए स्थान का चयन ।

3.24 :खतरें के वर्गीकरण के लिए विस्फोटक/संकटमय वस्तुओं की जांच/परीक्षण ।

3.25 :उपर वर्णित अधिनियमों और नियमों से सम्बन्धित खतरनाक पदार्थो, विस्फोटक, ज्वलनशील व अन्य खतरनाक वस्तुओं के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार, उद्योग और अन्य संगठनों को सलाह देना ।

3.26 रक्षा मंत्रालय, भारतीय मानक संस्थान (बी.आई.एस.) और अन्य मंत्रालयों व विभागों द्वारा नियुक्त अनेक समीतियों में बतौर अध्यक्ष या सदस्य के रूप मे भाग लेना ।

3.27 : खतरनाक रासायनों को सुरक्षित तरीके से संभालने, पेट्रोलियम-उत्पाद, विस्फोटक तथा संपीडीत गैसों से सम्बन्धित अनेक संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठी, परिचर्चा और कार्यशालाओं में भाग लेना ।

प्रशासन, बजट और अवसंरचना

4.1 स्वीकृत पद तथा अवसंरचना

वर्तमान में इस संगठन में **137** ग्रुप - **'ए'** अधिकारी और **343** ग्रुप 'बी', 'सी', और 'डी' कर्मचारियों की स्वीकृत क्षमता है । उपरोक्त पदों में से ग्रुप 'ए' के **43** पद और ग्रुप 'बी', 'सी' तथा 'डी' के **45** पद विभिन्न प्रशासनिक कारणों से रिक्त है । **मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन का **मुख्यालय नागपुर** में है । मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फरीदाबाद एवं आगरा में पेसो के **5** अंचल कार्यालय स्थित है जिनका नेतृत्व **संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** करते हैं। **उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में संगठन के **13** उप-अचंल कार्यालय तथा **विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में **5** उप-अचंल कार्यालय है । **उप विस्फोटक नियंत्रक** के नेतृत्व में विभागीय परीक्षण केंद्र (डी.टी.एस.), गोंडखैरी में स्थित हैं तथा विस्फोटक नियंत्रक के नेतृत्व में आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी. सी.) सिवाकासी में स्थित हैं ।(अनुलग्नक - 1 देखें)

4.2 बजट एवं व्यय

वर्ष के दौरान संगठन को नॉन प्लान बजट में रूपये 25,42,00,000/- तथा प्लान बजट में रूपये 3,00,00,000/- की स्वीकृती प्रदान की गई थी । वर्ष के दौरान नॉन प्लान बजट में रूपये 25,20,29,000/- एवं प्लान बजट के तहत रूपये 2,99,79,000/- का व्यय किया गया।

4.3 राजस्व

वर्ष के दौरान संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाओ की फीस के रूप में रूपये 68,92,06,000/- अर्जित किये गये जिसमे विस्फोटक अधिनियम से रूपये 32,26,63,000/- एवं पेट्रोलियम अधिनियम से रूपये 36,65,43,000/- प्राप्त हुए ।

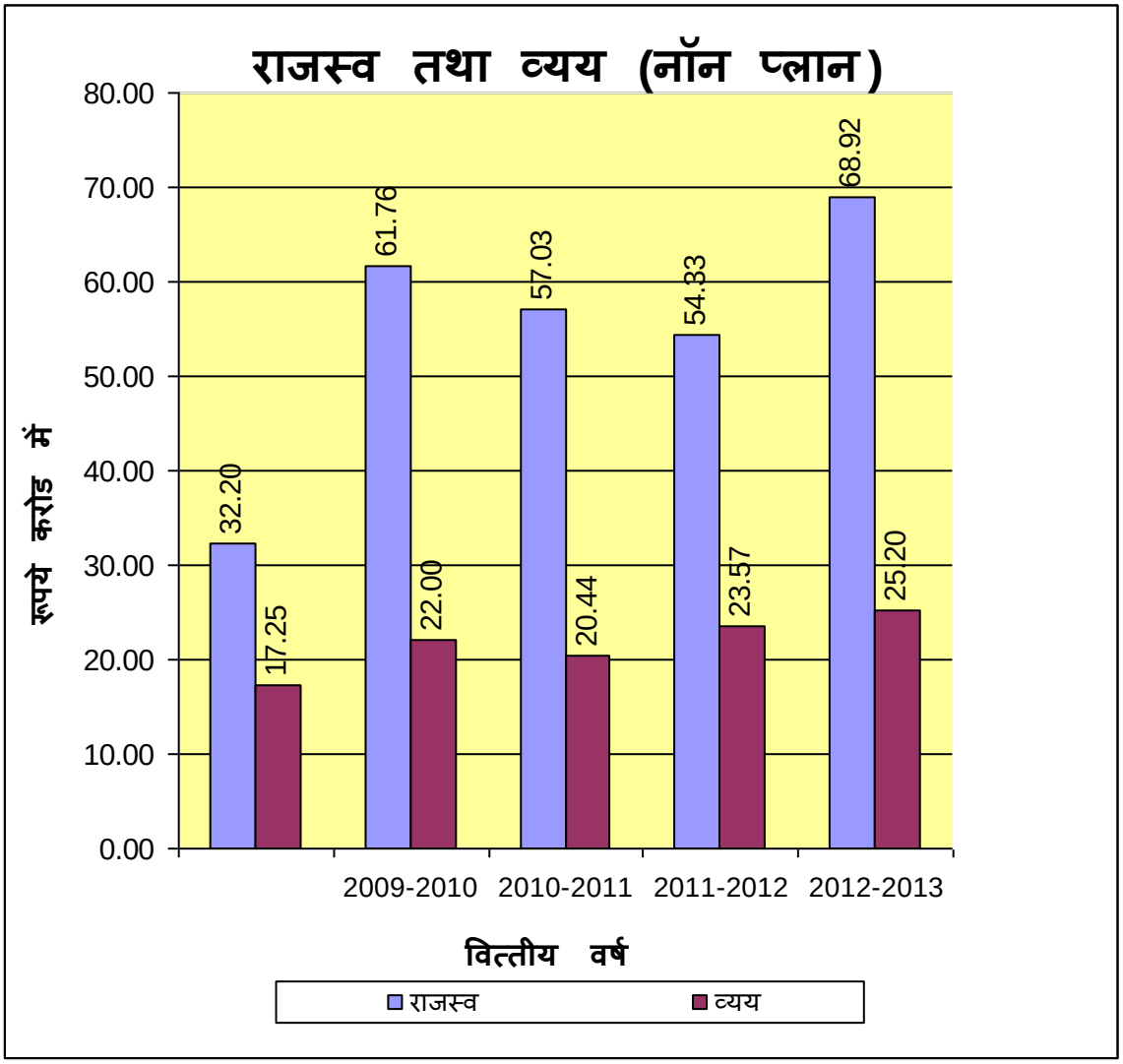
राजस्व तथा व्यय (नॉन प्लान)
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
रूपये करोड में
32.20
17.25
61.76
22.00
57.03
20.44
54.33
23.57
68.92
25.20
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
वित्तीय वर्ष
राजस्व
व्यय

विभागीय परीक्षण केन्द्र (डीटीएस)और आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफआरडीसी)

5.1 विभागीय परीक्षण केन्द्र (डीटीएस)

5.1.1 परिचय

विभागीय परीक्षण केन्द्र नागपुर से 18 कि.मी. की दूरी पर नागपुर-अमरावती रोड राजमार्ग सं 6, ग्राम गौंडखैरी जिला नागपुर में स्थित है । 81 एकड भूमि में व्याप्त परीक्षण केन्द्र, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर के समग्र मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में कार्यरत है ।

इस विभागीय परीक्षण केन्द्र का विकास विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं पेट्रोलियम अधिनियम 1934 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संविधिक परीक्षण कार्य के लिए किया गया है ।

यह परीक्षण केन्द्र गुणता नियंत्रण सम्बन्धी परीक्षण और उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए, विशेष रूप से विस्फोटक विनिर्माण हेतु, विभिन्न सामग्री और उपकरणों के लिए अन्य परीक्षणों की सेवाएं प्रदान करता है जिसमें विस्फोटक और इसके उपसाधन के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत में अपनी तरह का पहला संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण परीक्षण भी शामिल है ।

विभागीय परीक्षण केन्द्र के प्रकार्य :

विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत विभिन्न सामग्री और उपकरणों के सुरक्षित विनिर्माण / गुणता नियंत्रण के लिए विभागीय परीक्षण केन्द्र निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है -

1) <u>संविधिक परीक्षण</u>

संख्या	नियम	परीक्षण का उद्देश्य
1	विस्फोटक नियम 2008	1. विस्फोटक पदार्थो के प्रस्तावित नए उत्पादों को प्राधिकृत करने के संबंध में । 2. प्राधिकृत विस्फोटक की सूची में रखने अथवा हटाए जाने का निर्णय लेने हेतु अनुवर्ती वार्षिक परीक्षण । 3. विस्फोटको के पैकेजेस का अनुमोदन ।
2	पेट्रोलियम नियम, 2002	1. टैंक लॉरी सेफ्टी फिटिंग्स के डिजाईन का अनुमोदन । 2. विनिर्माण अनुमोदन के पुनर्विधिमान्यकरण के लिए अनुवर्ती परीक्षण । 3. पेट्रोलियम के मेटल कंटेनर का अनुमोदन ।
3	गैस सिलेण्डर नियम, 2004	भारतीय मानक ब्यूरो के संगत मानकों के अनुसार उपलब्ध एलपीजी एवं संपीडित गैस सिलेण्डर के लिए सांविधिक परीक्षण की सुविधा ।
4	स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम,	परीक्षण कार्य विकासाधीन ।

	1981	

2): गुणता नियंत्रण परीक्षण

परीक्षण केन्द्र, संगठन द्वारा प्रशासित अधिनियमो/नियमो के अंतर्गत किए गए उत्पादन के कार्य क्षेत्र मे गुणता परीक्षण सेवाएं भी देता है।

3): यू.एन.वर्गीकरण परीक्षण (विस्फोटको के निर्यात के लिए नई सीमा)

खतरनाक माल के परिवहन के लिए यू.एन.विनियमन के अनुसार विस्फोटक उत्पादन, विशेषतापूर्ण पॅकेजिंग डिजाईन के साथ, विस्फोटक उद्योगो को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादन का निर्यात प्रतियोगी कीमत पर करने के लिए, विभागीय परीक्षण केन्द्र द्वारा यू.एन.वर्गीकरण परीक्षण की सुविधा देने की शुरूवात की है ।

परीक्षण परीणाम मुल्यांकन के निर्धारण के पश्चात विशेषतापूर्ण पॅकेजिंग डिजाईनवाले उत्पादन का ग्रूप बीआईएस के अनुरूप 1.4 मे वर्गीकृत किए जाते हैं । महानिदशेक जहाजरानी, विभागीय परीक्षण केंद्र के निर्धारण एवं परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं । निर्यातक अपने 1.4 वर्गीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त उत्पादन जनरल कार्गो शिप के द्वारा शिप कर सकते है, बजाए विस्फोटक कार्गो शिप से जिससे माल-भाडे मे काफी बचत होगी । सभी निर्यातक इन जहाजों की आसान सुविधा का लाभ उठाते है जिससे वह अपना माल समय से पहुँचा सकते है क्योंकि विस्फोटक कार्गो शिप की सिमित उपलब्धता के कारण माल पहुचाने मे विलंम्ब होता है।

4) <u>नमूनो का परीक्षण</u>

विभागीय परीक्षण केन्द्र में वर्ष के दौरान निम्नांकित नमूनों की जांच की गईः-

संख्या	विवरण	मात्रा (संख्या)
1.	**विस्फोटक**	
	स्लरी/इमलशन वर्ग 2	220
	पेन्टोलाईट बूस्टर वर्ग-3 प्रभाग 2	25
	आतिशबाजी	116
	सेफ्टी फ्युज	10
	गन पाऊडर	5
	डिटोनेटर	332
	डिटोनेटिंग फ्यूज	48
2.	**विस्फोटक के सीएफबी पैकेजेस**	
	प्रस्तावित नए अनुमोदन के नमूने	55
	अंचल/उप-अंचल अधिकारियों द्वारा प्राप्त नमूने	122
3.	**पेट्रोलियम टैंक लॉरी सेफ्टी फिटिंग्स**	--
	नए अनुमोदन हेतु	46
	पुन: वैधता हेतु	--

5) विस्फोटकों का निस्तारण -

परीक्षण केन्द्र में शेष नमूनों का निस्तारण -

वर्ग 1	**2.21 किलोग्राम**
वर्ग 2	**3150.313 किलोग्राम**
वर्ग 3 प्रभाग 2	**15.8 किलोग्राम**
वर्ग 6 प्रभाग 1	**282 मीटर**
वर्ग 6 प्रभाग 2	**2793 मीटर**
वर्ग 6 प्रभाग 3	**250 संख्या**
वर्ग 7 प्रभाग 2	**--**

6) अनुपयोगी विस्फोटकों का निस्तारण -

वर्ग 1	**50.34 किलोग्राम**
वर्ग 2	**17073.29 किलोग्राम**
वर्ग 3 प्रभाग 2	--
वर्ग 6 प्रभाग 1	**732 मीटर**
वर्ग 6 प्रभाग 1()	**19969 संख्या.**
वर्ग 6 प्रभाग 2	**887 मीटर**
वर्ग 6 प्रभाग 2()	**64597 संख्या.**
वर्ग 6 प्रभाग 2()	**2900 संख्या.**
वर्ग 6 प्रभाग 3	**89151 संख्या.**
वर्ग 7 प्रभाग 2	**-**

राजस्व

वर्ष 2012-13 के दौरान विभागीय परीक्षण केन्द्र ने रूपये **87,85,595/-** राजस्व अर्जित किया ।

आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी.सी.) सिवाकासी

5.2 आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी.सी.)

5.2.1 प्रस्तावना

मा. सुप्रीम कोर्ट के दि. 18.7.2005 केस डब्ल्यू.पी. (सिविल नं 72 - 1998) के निर्णय में दिए गए निर्देशानुसार, पेसो द्वारा सिवाकासी मे प्लान स्कीम के तहत एफ.आर.डी.सी. के निर्माण का कार्य शुरू किया गया ।

दसवे प्लान के अंतर्गत एफ.आर.डी.सी. के सिविल स्ट्रकचर का कार्य शुरू किया गया था, जिसे पूर्ण कर लिया गया हैं । निष्पादित काम में 2.025 हेक्टर भूमि की खरीद, उसके चारो ओर दीवार, बोरवेल, पानी की पाइपलाइन, लाईट पोस्ट, आंतरिक सड़के, मुख्य इमारत आवासीय प्रयोगशालाएं और संबद्ध सुविधाएं, आदि शामिल है । ग्यारहवी योजना के तहत एफ.आर.डी.सी. को पूर्ण रूप से क्रियाशील करने हेतु उसे तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्मिकों की भरती करना प्रस्तावित हैं ।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशो के अनुसरण मे, पेसो द्वारा किए गए विभिन्न समानांतर उपायो के परिणाम निम्नानुसार है :

पेसो द्वारा आतिशबाजियों को ध्वनीवाले पटाखों और कलर/लाईट वाले पटाखो में वर्गीकृत किया गया है तथा अपेक्स कोर्ट के निर्देशो का अनुपालन करते हुए आतिशबाजियों की प्राधिकृत सूची संशोधित की गई हैं । जी.एस.आर. सं. 225 दि. 6.9.2006 के भारत का राजपत्र, भाग - II, धारा-3, उप-धारा (i) मे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्यगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है । एमईपीसीओ, स्क्लेन्क इंजिनियरिंग कॉलेज, सिवाकासी के तकनीकी सहायता से, पेसो द्वारा ध्वनीवाले पटाखो के मिश्रण का विकास किया गया जो पर्यावरण के मानको द्वारा निर्धारित सीमा मे हैं । भारत सरकार की दि. 5.10.99 की अधिसूचना सं. जीएसआर 682(ई) मे दिए गए जरूरतो को पूर्ण करने हेतु चार सामान्यत: प्रयुक्त ध्वनी पटाखे- 1. ऍटम बॉम्ब, २. चायनीज पटाखे, 3. मरून्स 4. गारलँड पटाखो के रसायनिक आकार /प्रकार के विशेष संदर्भ मे, उनके विनिर्माण मे उसके अनुपात/संरचना, साथ ही उसमे प्रयुक्त हर एक रसायन के अधिकतम अनुमती प्राप्त वजन आदि सूत्र (फॉर्मुला) विर्निदिष्ट करता है ।

यह सूत्र भारत के सभी आतिशबाजी विनिर्माणकर्ताओं को सख्त अनुपालन हेतु दिया गया है । आम जनता के साथ ही इससे संबंधित सभी के जानकारी हेतु इसे पेसो की वेबसाईट **http://peso.gov.in** पर भी उपलब्ध किया गया है ।

5.2.2. एफ.आर.डी.सी. केन्द्र के प्रकार्य :

एफ.आर.डी.सी. को निम्नलिखित गतिविधियां सौंपी गई है:

1. पर्यावरण अनुकूल आतिशबाजी का अनुसंधान और विकास ।
2. आतिशबाजी के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल का परीक्षण ।
3. आतिशबाजी उद्योग में जोखिम वाले प्रक्रिया का यांत्रिकीकरण ।

4. आतिशबाजी के सामान्य प्रदर्शन और ध्वनि के स्तर का परीक्षण ।
5. नए उत्पादों के विकास और सामान्य उत्पादों के मानकीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना ।
6. गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन में सुधार ।
7. आतिशबाजी कारखानों के निरीक्षकों और श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।
8. दुर्घटनाओं की जांच ।

5.2.3 : नमूनों का परीक्षण और राजस्व निर्माण :

पिछले चार वर्षों के वर्ष के दौरान आतिशबाजी के नमूनों के परीक्षण की संख्या:

क्रम संख्या	वर्ष	जमा किए नमूनों की संख्या	प्राप्त राजस्व
1	2009-2010	1203	रू 4,50,750/-
2	2010-2011	3418	रू 80,1050/-
3	2011-2012	674	रू 1,02,600/-
4	2012-2013	831	रू 3,40,000/-

अध्याय- 6

ई – गवर्नेन्स

पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), अपने स्टेकहोल्डरों को पेसो द्वारा प्रशासित विभिन्न नियमों के दायरे में बेहतर और निर्बाध ई-सेवाए प्रदान करने के संकल्प के साथ पूर्व में 'पूर्ण की गई गतिविधियां' शीर्षक के अंतर्गत पूरी की गई गतिविधियों के बाद ई-गवर्नेन्स के प्रभावी कार्यान्वयन की ओर अग्रसर है ।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान, पेसो ने कई उपलब्धियां हासिल की उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं;

1. पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत बाहरी स्टेकहोल्डरों के लिए ई-फाइलिंग शुरू किया गया है । अनुज्ञप्तिधारको को पेसो पोर्टल के साथ रजिस्टर करने के लिए और उनके अनुज्ञप्ति पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई है । भारत भर में पेसो के विभिन्न कार्यालयों में अपने ऑनलाइन आवेदन भेजने के लिए यह प्रणाली उन्हें सुविधा उपलब्ध कराती है । आवेदनों की प्रोसेसिंग के कुछ चरणों पर ईमेल प्राप्त करने के अलावा अनुज्ञप्तिधारक उनके पोर्टफोलियो के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं । बड़ी संख्या में अनुज्ञप्तिधारकों ने पहले से ही सुविधा का लाभ उठाना शुरू कर दिया है और हर दिन और अधिक अनुज्ञप्तिधारक रजिस्टर हो रहे है । नवीकरण के समय कई अनुज्ञप्तियों के लिए केवल एक डीडी जमा करने के लिए पीएसयू ऑईल कंपनियों के अनुज्ञप्तिधारकों के हित के लिए 'बल्क नवीकरण' जैसी नई मूल्य संवर्धन (वैल्यू ऐडेड) सुविधाए प्रदान की गई है ।

2. प्रत्येक कर्मचारी के लम्बित कार्य और जवाबदेही का प्रबंधन और निगरानी करने की अतिरिक्त सुविधाओं के साथ आवेदन मॉड्यूल का भी पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया गया है ।

3. विस्फोटक नियमों के अंतर्गत, मौजूदा ईआरएस (एक्सप्लोसिव्स रिटर्न सिस्टम) का वर्धन किया गया है जिससे क्रेता अनिवार्य रूप से आरई-11 (इंडेंट) जनरेट कर सके । यह इंडेंट जनरेशन विस्फोटक नियम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत हो रहा है और इससे क्रेता उनके अनुज्ञप्ति क्षमता से अधिक इंडेंट बढ़ा नहीं सकता । इसी तरह, प्रणाली में समाविष्ट अन्य अवरोध आपूर्ति श्रृंखला व्यवहार में, क्रेता और आपूर्तिकर्ता दोनों की मदद कर रहे हैं ।

4. आपूर्तिकर्ता के लिए सभी आरई-11 (उनकी कंपनी/फर्म के लिए बनाए इंडेंट) देखने की और आरई -12 तैयार की (उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त आरई-11 के आधार पर) सुविधा । विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत विभिन्न नियमकों का अनुपालन करने हेतु, आरई -12 तैयार होना भी प्रणाली में उपलब्ध जाँच से गुजरता है ।

5. विस्फोटकों की वास्तविक प्राप्ति पर, परेषिती, ऑनलाइन विस्फोटकों को ईआरएस में स्वीकृत करता है । इस प्रकार रियल टाइम स्टॉक जानने की तरह की सुविधाओ ने ईआरएस (एक्सप्लोसिव्स रिटर्न सिस्टम) का वर्धन किया है और काफी हद तक विस्फोटकों के व्यवहार को सुव्यवस्थित किया है ।

6. अभिलेखों के उपयोग और अनुरक्षण को कारगर बनाने और इस तरह आरई-7 यानी एक्सप्लोसिव्स रिटर्न तैयार करने के लिए, उपयोग के लिए पास (आरई-13) की शुरूआत यह खानों और अन्य साइटों में विस्फोटकों के उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू की गई एक और पहल है। इस नई पहल से विस्फोटकों के दुरूपयोग और गबन पर अंकुश लगाने में बहुत मदद मिलेगी और जवाबदेही भी आएगी । ब्लास्टर्स के नाम के साथ, विस्फोटकों के प्रयोग कर रही साइटों को भी डेटाबेस में लिया जाएगा ।

7. विस्फोटक नियम के अंतर्गत दंडात्मक व्यवहार के लिए अर्थात निलंबन और निरसन, ईमेल सुविधा को आंतरिक आवेदन के साथ एकीकृत किया गया है । प्रणाली संबंधित डीएम और एसपी को ईमेल भेजती है (यदि प्रणाली में ईमेल पते उपलब्ध है) यदि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर दिया है ।

8. एसएमपीवी (यू) और पेट्रोलियम नियमों के अंतर्गत, सक्षम व्यक्तियों के लिए भी एक पहल की गई है । मौजूदा सक्षम व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकृत होकर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं । आंतरिक प्रणाली द्वारा उनके क्रेडेंशियल्स की पुष्टि की जाती हैं और और उसके बाद ही वे इस प्रणाली के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर के लिए 'सक्षम थर्ड पार्टी' प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते है ।

इस पहल से सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रमाणपत्र का जनरेट करना काफी हद तक सुव्यवस्थित हुआ है । जनरेट किए गए प्रमाण पत्र भी आवेदनों की प्रोसेसिंग के समय में संबंधित अनुज्ञप्ति फाइल से लिंक हो जाते है । प्रोसेसिंग के दौरान, पेसो के अधिकारी, सक्षम द्वारा व्यक्ति ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र देख सकते हैं और ऑनलाइन रिकार्ड के साथ उनके हस्ताक्षर सत्यापित भी कर सकते हैं । इससे प्रमाणीकरण प्रक्रिया में जालसाजी की गुंजाइश पूरी तरह से समाप्त होगी ।

पूर्ण की गई गतिविधियां :

पेसो के सभी कार्यालयों को एक्सप्लोनेट नेटवर्क के अंतर्गत समाहित किया गया है । फॉल-बॅक अरेन्जमेन्ट के साथ पाँच अंचल कार्यालयों के लिए 2 एमबीपीएस स्पीड की लिज्ड लाइन अपग्रेड की गई है। उसी प्रकार से 18 उप - अंचल कार्यालयों के लिए लीज्ड लाइन की स्पीड 512 केबीपीएस तक बढाई गई हैं ।

विभागीय परीक्षण केन्द्र, गोंडखैरी तथा एफआरडीसी, सिवाकासी को भी 512 केबीपीएस लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी प्रदान की गई हैं ।

सभी विस्फोटक विनिर्माता अपने दैनिक उत्पादन का विवरण दैनिक आधार पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं । सभी विनिर्माताओं द्वारा आरई-7 ऑनलाइन प्रस्तुत करने के संबंध में 100% सफलता हासिल की गई है ।

एलई-3 (विस्फोटकों का बिक्री के लिए कब्जा और उपयोग हेतु) के अंतर्गत अनुज्ञप्तीधारकों में से 95% से अधिक ने ऑनलाईन आरई-7 (विस्फोटकों की विवरणी) हेतु रजिस्ट्रेशन किया हैं और वे उनकी तिमाही विवरणी, आरई-7 ऑनलाइन प्रणाली की सहायता से प्रस्तुत कर रहें हैं ।

जिन अनज्ञप्तीधारकों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नही किया या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आरई-7 ऑनलाइन प्रस्तुत नही कर रहें हैं उन्हे सभी आंतरिक उपयोगकर्ताओं (पेसो अधिकारी) द्वारा ऑनलाइन कारण बताओं (शो कॉज) नोटिस जारी की जा रही हैं ।

विस्फोटकों के ट्रैन्ज़ैक्शन की निगरानी को और भी सशक्त करने के लिए पेसो द्वारा सभी विनिर्माताओं और वितरकों के लिए आरई -12 (विस्फोटकों के बिक्री और परिवहन हेतु) के ऑनलाइन जनरेशन की सुविधा शुरू की गई हैं । सभी विनिर्माता और अधिकांश वितरक आरई-12 ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं । इससे उन्हें उनके बिक्री प्रविष्टियों से संबंधीत आरई-7 (त्रैमासिक विवरणी) बनाना सुगम हो गया हैं ।

आंतरिक कार्यालयों को बेहतर सुविधा देने के लिए और आरई-7 के माध्यम से बल्क में प्राप्त किए जा रहे डेटा को समायोजित करने के लिए इंटर्नल स्टोरेज 2 टेरा बाइट तक बढ़ाया गया है । मौजूदा सॉफ्टवेयर के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए SAN स्टोरेज के साथ नये RACK सर्वर उपयोग में लाए गए हैं ।

फॉर्म आरई-12 और फॉर्म आरई-7 के ऑनलाइन जमा करने के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निकट भविष्य में मौजूदा 4 एमबीपीएस के इंटरनेट गेटवे को अपग्रेड करके उसकी डेडीकेटेड प्रवाहक्षमता 10 एमबीपीएस करने की योजना बनाई गई है ।

पाँच अंचल कार्यालयों और मुख्यालय, नागपुर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हैं ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की बैठकें-संगोष्ठियाँ-व्याख्यान-प्रशिक्षण कार्यक्रम- विदेश यात्राएं

संगोष्ठियां -

1. ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआयआयजीएमए) द्वारा एर्नाकुलम में दिनांक 02.06.2012 को आयोजित कार्यशाला में भाग लिया ।

2. ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआयआयजीएमए) द्वारा श्रीनगर में दिनांक 31.08.2012 को सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और संबोधन किया ।

3. आयक्यूआरएस 2012 की सलाहकार परिषद द्वारा दिनांक 06.09.2012 को आयोजित भारत की 19 वीं वार्षिक तेल, गैस और कोयला पुनर्विलोकन शिखर सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया ।

बैठकें :

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली में 27 अप्रैल 2012 को परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन (हैंडलिंग और सीमापार आंदोलन) नियम, 2008 के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

2. देश के विभिन्न भागों में विस्फोटकों की चोरी के नियंत्रण से संबंधित दिनांक 08.05.2012 को हुई गृह मंत्रालय की बैठक में भाग लिया ।

3. ओआईएसडी,नोएडा की सुरक्षा पुरस्कार समिति की दिनांक 08.02.2013 को हुई बैठक में भाग लिया

4. भारतीय मानक ब्यूरो की गैस सिलेण्डर उप समिति एमई- 16 के सत्र (दि. 27.02.2013 से 01.03.2013 तक) की अध्यक्षता की ।

संगठन के अन्य अधिकारियों की बैठकें -व्याख्यान- सेमिनार - प्रशिक्षण कार्यक्रम

दक्षिण अंचल :

1. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 20.04.2012 को चीफ एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर एविएशन फ्यूल स्टेशन , मीनमबाक्कम एयरपोर्ट, चेन्नई में सुरक्षा सप्ताह 2012 कार्यक्रम में उपस्थित हुए ।

2. श्री एन.टी. शाहू, उप-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 20.04.2012 को मे. साउथ इंडियन गैस एजेंसिज़ प्राइवेट लिमिटेड , कुंडडम, तिरुपुर जिले के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया ।

3. श्री के. सुंदरेसन, वि.नि., चेन्नई ने दि. 24.04.2012 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) अशोकनगर , चेन्नई में "हथियारों और विस्फोटकों से संबंधित उल्लंघन की रोकथाम और नियंत्रण " विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया ।

4. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 02.06.2012 को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलपीजी क्षेत्र) त्रिची द्वारा कोच्चि सुरक्षा बैठक में आयोजित औद्योगिक गैस पर संगोष्ठी में भाग लिया ।

5. श्री एन.टी. शाहू, उप-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 11.07.2012 को राज्य पुलिस ड्यूटी मीट की तमिलनाडु सरकार की सीबीसीआयडी, अपराध शाखा कार्यालय में एण्टी सेबोटेज चेक प्रतियोगिता के संबंध मे आयोजित बैठक में भाग लिया ।

6. श्री एन.टी. शाहू, उप-मु.वि.नि., श्री एस. के. दीक्षित, वि.नि. एवं डा. एम. के. समोता, उप-वि.नि. ने दि. 23.07.2012 और 28.07.2012 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) अपराध शाखा सीआयडी कार्यालय, चेन्नई में एण्टी सेबोटेज चेक प्रतियोगिता -राज्य पुलिस ड्यूटी बैठक में भाग लिया ।

7. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 30.07.2012 को उप-मु.वि.नि., हैदराबाद कार्यालय में आयोजित "तिमाही रिटर्न ऑनलाइन जमा करने" पर कार्यशाला में भाग लिया ।

8. श्री एन.टी. शाहू, उप-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 03.08.2012 को तमिलनाडु पुलिस अकादमी , वांदालूर , चेन्नई में विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों और विस्फोटक नियम, 2008 की लाइसेंस प्रक्रिया पर व्याख्यान दिया जिसमें तमिलनाडु राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया ।

9. श्री एन.टी. शाहू, उप-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 16.08.2012 को ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन , तमिलनाडु और पांडिचेरी द्वारा त्रिची में आयोजित गैस सिलेण्डर नियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत एलपीजी भंडारण , वितरण , परिवहन पर एक व्याख्यान दिया जिसमें लगभग 75 एलपीजी डीलर्स और मे. आईओसीएल , एचपीसीएल और बीपीसीएल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

10. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 22.10.2012 से 26.10.2012 तक उप.मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , सिवाकासी में विस्फोटक अधिनियम 1882 की धारा -9 अ के अंतर्गत जांच में भाग लिया ।

11. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 11.12.2012 और 12.12.2012 को कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर में त्रैमासिक बैठक में भाग लिया और गैस सिलेंडर नियम, 2004 और एसएमपीवी(यू) नियम,1981 की समितियों की बैठक में भाग लिया ।

12. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई और श्री एन.टी. शाहू, उप-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 11.01.2013 को कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी "एक्स्प्लोसेफ 2013" मे भाग लिया ।

13. टीईएल, वेल्लोर द्वारा वांछित विस्फोटक के निर्यात की सुविधाओं के सिलसिले में मु.वि.नि. एवं सं.मु.वि.नि द्वारा चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का दौरा किया गया ।

14. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 22.02.2013 को कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर में त्रैमासिक बैठक और अमोनियम नाईट्रेट एवं दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों पर आयाजित बैठक की अध्यक्षता की ।

15. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 07.03.2013 को कोच्चि में विस्फोटक रिटर्न पर जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया और विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारियों को संबोधित किया गया ।

16. श्री एस. सरगुणारमन, सं-मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 08.03.2013 को गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अनुपालन और सुरक्षा पर केरल के एलपीजी गैस वितरकों को संबोधित किया ।

17. डा. आर.के.एस. चौहान , उप-वि.नि., चेन्नई ने दि. 28.05.2012 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कॉर्पोरेशन बैंक के मंगलूर स्थित मुख्यालय में हुई बैठक में भाग लिया ।

18. डा. ए.पी. सिंह , उप-मु.वि.नि , ने मंगलौर और पादूर में आयएसपीआरआयएल के साईट्स पर किए जा रहे भूमिगत ब्लास्टिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दि. 30.05.2012 को बैठक का आयोजन किया । आयएसपीआरआयएल के वरिष्ठ अधिकारी और उनके ठेकेदारों ने बैठक में भाग लिया। विस्फोटकों की चोरी को रोकने के लिए अपनाए गए सुरक्षा उपायों की बैठक में चर्चा की गई ।

19. श्री बी. रेंगासामी, उप-मु.वि.नि., ने दि. 17.11.2012 को एमआरपीएल मंगलौर में आयोजित तटीय सुरक्षा की बैठक में भाग लिया । कर्नाटक सरकार के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई । तटरक्षक बल , जिला पुलिस , एमआरपीएल , न्यू मंगलौर पोर्ट और उसके उपयोगकर्ता उद्योगों, आदि, तेल कंपनियों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया ।

20. डॉ. डी.एल. कांबले, उप-वि.नि., चेन्नई एवं श्री एस सत्यनारायण, स्टेनो ग्रेड III ने दि. 29.11.2012 को कॉर्पोरेशन बैंक के मंगलौर स्थित मुख्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की हुई छमाही बैठक में भाग लिया ।

21. श्री बी. रेंगासामी, उप-मु.वि.नि., मंगलौर ने दि. 29.12.2012 को एमआरपीएल का दौरा किया और अनुज्ञप्ति प्राप्त पेट्रोलियम और थोक एलपीजी भंडारण सुविधा की सुरक्षा के संबंध में एमआरपीएल के साथ बैठक की । श्री विनय कुमार , जीजीएम और उनकी टीम ने भविष्य के विस्तार के लिए तृतीय फेज़ में एमआरपीएल के मौजूदा सुविधाओं और प्रस्तावित योजना के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी । इस अवसर पर डा. आर.के.एस. चौहान , उप-वि.नि. और डा. डी.एल.कांबले, उप-वि.नि., उपस्थित थे ।

22. श्री बी. रेंगासामी, उप-मु.वि.नि., मंगलौर ने दि. 11.01.2013 और 12.01.2013 को कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी "एक्स्प्लोसेफ 2013" में भाग लिया ।

23. श्री बी. रेंगासामी, उप-मु.वि.नि., मंगलौर ने दि. 15.03.2013 को एचपीसीएल द्वारा उनके एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और एलपीजी आयात सुविधा केंद्र में "कर्मियों के सुरक्षा और प्रशिक्षण का महत्व " विषय पर संबोधित किया ।

24. डा. आर.के.एस. चौहान, उप-वि.नि., चेन्नई ने दि. 24.01.2013 और 29.01.2013 को बंगलौर में संसद की स्थायी समिति के निरीक्षण के सिलसिले में सिंडीकेट बैंक के प्रबंधक और अन्य संगठनों के सदस्यों के साथ बैठक में भाग लिया । दि. 24.01.2013 को डॉ. ए.पी. सिंह उप-मु.वि.नि. एवं श्री डी.के. गुप्ता , उप-मु.वि.नि. द्वारा बैठक संबोधित की गई और दि. 29.01.2013 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्री टी.आर. तोमस, मु.वि.नि. द्वारा की गई ।

25. संसद की स्थायी समिति की बंगलौर यात्रा के संदर्भ में दि. 31.01.2013 को श्री ए.पी. सिंह , उप-मु.वि.नि., द्वारा केनरा बैंक के एजीएम के साथ बुलाई गई बैठक में डा. आर.के.एस. चौहान, उप-वि.नि., ने भाग लिया । इस बैठक में श्री डी.के. गुप्ता , उप-मु.वि.नि. उपस्थित थे ।

26. विभिन्न हितधारकों के साथ संयुक्त संसदीय स्थायी समिति द्वारा बंगलौर में हुए विचार विमर्श और चर्चाओं के सफल समापन के लिए डा. आर.के.एस. चौहान, उप-वि.नि., चेन्नई द्वारा दि. 01. 02.2013 और 02.02.2013 को डा. ए.पी. सिंह , उप-मु.वि.नि ,सिवाकासी, श्री डी.के. गुप्ता, , उप-मु.वि.नि ,मुख्यालय और अन्य बैंकिंग और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया ।

27. संसद की स्थायी समिति की बंगलौर यात्रा के संदर्भ में दि. 30.01.2013 को अतिरिक्त श्रम आयुक्त और श्रमिक संघ के सदस्यों के साथ श्री ए.पी. सिंह , उप-मु.वि.नि., द्वारा बुलाई गई बैठक

में डा. आर.के.एस. चौहान, उप-वि.नि., ने भाग लिया । इस बैठक में श्री डी.के. गुप्ता , उप-मु.वि.नि. उपस्थित थे ।

28. सं.मु.वि.नि., चेन्नई ने दि. 08.08.2012 को आंध्र प्रदेश के डेटोनेटर विनिर्माताओं के साथ बैठक बुलाई ।

29. दि. 07.11.2012 को श्री वी.के. मिश्रा , उप-मु.वि.नि., हैदराबाद ने डीसीपी , पश्चिम क्षेत्र के साथ साथ पश्चिम क्षेत्र के सभी आतिशबाजी विक्रेताओं के साथ त्योहारों के दौरान आतिशबाजी के हथलाई में सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में भाग लिया ।

30. दि. 09.11.2012 को श्री के. एस. राव, उप-वि.नि., हैदराबाद ने डीसीपी , पूर्वी क्षेत्र के साथ त्यो त्योहारों के दौरान आतिशबाजी के हथलाई में सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में भाग लिया ।

31. दि. 20.11.2012 को श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि. ने चित्तूर जिले में विस्फोटकों के उपयोग और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन के संबंध में जिला कलेक्टर , चित्तूर के साथ एक बैठक में भाग लिया ।

32. दि. 27.11.2012 को श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि. और श्री बासुदेव बसक, उप-वि.नि. ने रंगारेड्डी जिले के कलेक्टर द्वारा सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप और सीडीएमए द्वारा प्रस्तावित ऑफसाइट आपातकालीन ड्रिल के लिए बुलाई एक बैठक में भाग लिया ।

33. श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि. ने दि. 11.02.2013 को कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी "एक्स्प्लोसेफ 2013" में भाग लिया ।

34. श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि. ने दि. 13.01.2013 को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन के संबंध में पुलिस अधीक्षक, आदिलाबाद के साथ एक बैठक में भाग लिया ।

35. श्री जी कुमार स्वामी , वि.नि. ने दि. 30.01.2013 को विशाखापटनम बंदरगाह के उप संरक्षक के साथ विजाग बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट के आयात प्रणाली के सिलसिले में आयोजित एक बैठक में भाग लिया ।

36. श्री जी कुमार स्वामी, वि.नि. ने दि. 31.01.2013 को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन और व्यापक प्रचार के संबंध में जिला कलेक्टर , विशाखापटनम के साथ एक बैठक में भाग लिया ।

37. श्री जी कुमार स्वामी , वि.नि. ने दि. 01.02.2013 को सीआईएसएफ के कमांडेंट , यातायात नियंत्रक, विजाग बंदरगाह , विशाखापटनम के साथ विजाग बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट के आयात प्रणाली के सिलसिले में आयोजित एक बैठक में भाग लिया ।

<u>कार्यशालाएं / सेमिनार</u>

1. दिनांक 20.04.2012 को श्री बासुदेव बसक , उप-वि.नि. ने एनओसी व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'वेब जीआईएस आधारित आपातकालीन योजना ' पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया ।
2. पेसो द्वारा दिनांक 30.07.012 को आरई- 11 और आरई-12 के सिलसिले में विस्फोटक डीलरों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई ।
3. श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि. और श्री जी. कुमारस्वामी ने दिनांक 03.09.2012 को पाइप लाइनों और उच्च विस्फोटक परिवहन की सुरक्षा पहलुओं के संबंध में एलुरु, पश्चिम गोदावरी के पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया । इस कार्यशाला में श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि. द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई ।
4. श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि. ने दिनांक 28.11.2012 को बीपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, चारलापल्ली , आरआर जिला में साइट ड्रिल और आपातकालीन तैयारियों में भाग लिया ।
5. श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि. ने दिनांक 10.01.2013 को पेसो के सहयोग से इएडब्लुए द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया ।
6. श्री जी कुमार स्वामी , वि.नि. ने दि. 09.02.2013 को प्रीमियर एक्स्प्लोजिव्स प्रा. लि. द्वारा "विस्फोटक के विनिर्माण में सुरक्षात्मक सावधानिया " विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया

<u>प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

1. श्री वी.के. मिश्रा, उप-मु.वि.नि. ने 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2012 तक मुख्यालय , नागपुर में मु.वि.नि. द्वारा आयोजित पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और स्टीफनिक एसिड विनिर्माण, एलए, एलएस और एएसए विनिर्माण पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी ।
2. को विस्फोटकों के नष्टीकरण के 6 अगस्त 2012 को एक दिन के कार्यक्रम में संगठन के अधिकारियों ने भाग लिया । श्री वी.के. पर मिश्रा, उप-मु.वि.नि. और श्री जी. कुमार स्वामी , वि.नि. ने विस्फोटकों के नष्टीकरण का डेमो दिया । यह कार्यक्रम स्थानीय पुलिस और मे. गल्फ ऑयल निगम लि. के अधिकारियों के सहयोग से आयोजित किया गया था ।
3. श्री ए. पी. सिंह, उप-वि.नि. ने नागपुर में 11 और 12 जनवरी 2013 को आयोजित "एक्स्प्लोसेफ" संगोष्ठी में भाग लिया ।

वेल्लूर

1. श्री जे. सरकार, वि.नि. ने दि. 11.01.2013 और 12.01.2013 तक कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ,नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी "एक्स्प्लोसेफ 2013" मे भाग लिया ।
2. डा. महेश कुमार समोता, उप-वि.नि. ने दि.11.02.2013 से 14.02.2013 तक आयएसटीएम, नई दिल्ली में 'सूचना के अधिकार 'के लिए रिकार्ड प्रबंधन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।
3. श्री जे. सरकार, वि.नि., वेल्लोर ने दि. 22.03.2013 से 23.03.2013 तक कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , चेन्नई में आयोजित त्रैमासिक बैठक मे भाग लिया ।
4. डा. महेश कुमार समोता, उप-वि.नि. ने नए पेट्रोलियम ऑन लाइन मॉड्यूल के अंतर्गत अनुज्ञप्तियों के बल्क नवीकरण पर प्रशिक्षण में भाग लिया ।

व्याख्यान

1. श्री जे. सरकार, वि.नि. ने दि. 11.01.2013 को चेन्नई खनन इंजीनियर्स एसोसिएशन, सलेम द्वारा आयोजित संगोष्ठी में व्याख्यान दिया ।

पश्चिम अंचल, मुंबई

व्याख्यान / बैठकें/ सेमिनार/ कार्यशालाएं/ आदि

1. श्री जी. एम. रेड्डी, सं.मु.वि.नि. ने दि. 10.04.2012 को कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ,मुंबई में आयोजित "ऑक्सीजन शेष गणना और विस्फोटक की क्षमता" पर प्रस्तुति दी।
2. डा.(श्रीमती) संजना शर्मा, उप.मु.वि.नि. बडौदा ने 16 अप्रैल 2012 से 20 अप्रैल 2012 तक मुख्यालय ,नागपुर में मु.वि.नि. द्वारा आयोजित पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।
3. श्री आर. के. मंडोला, उप-मु.वि.नि. ने दि. 17.04.2012 को कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ,मुंबई में "आचरण नियमों" पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक प्रस्तुति दी ।
4. श्री बिभास चंद्र साधुखान, उप-वि.नि., बडौदा ने मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ,नागपुर द्वारा नागपुर में दि. 19/04/2012 से 27/04/2012 तक नव नियुक्त उप विस्फोटक नियंत्रकों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।
5. डॉ. (श्रीमती) संजना शर्मा , उप-मु.वि.नि., बड़ौदा ने दि. 27/04/2012 को गांधीनगर में गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के श्री आर बनर्जी , आईएएस , मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई गई राज्य स्तरीय बैठक में भाग लिया । यह बैठक राज्य की "रासायनिक और औद्योगिक आपदा प्रबंधन योजना " से जुडे "क्षमता अनुसंधान और गैप विश्लेषण" पर अंतरिम रिपोर्ट मसौदे के बारे में थी ।
6. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई ने गुजरात विस्फोटक डीलर्स एसोसिएशन (GEDA) के साथ राजकोट में दि. 05.05.2012 को एक बैठक का आयोजन किया था । इस बैठक में डॉ.

(श्रीमती) संजना शर्मा , उप-मु.वि.नि., बड़ौदा, डा. डी. सी. पाण्डे, वि.नि., श्री एस. डी. शर्मा, उप-वि.नि. और श्री बिभास चंद्र साधुखान, उप-वि.नि., बडौदा ने भाग लिया ।

7. डा. डी. सी. पाण्डे, वि.नि. ने दि. 09.05.2012 को शॉट फायरकर्ता हेतु ओएनजीसी द्वारा आयोजित "ब्लास्टिंग साइट पर विस्फोटकों के सुरक्षित हैंडलिंग " पर व्याख्यान दिया।

8. डॉ. (श्रीमती) संजना शर्मा , उप-मु.वि.नि., बड़ौदा, ने दि. 18.05.2012 को ओएनजीसी, आमोद जिला भरूच में आयोजित "ब्लास्टिंग साइट पर विस्फोटकों के सुरक्षित हैंडलिंग " पर व्याख्यान दिया।

9. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई कार्यालय तथा एचपीसीएल, चेंबूर, माहुल, मुंबई रिफायनरी के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दि. 26/05/2012 को एक्रेस्लब, चेंबूर में " पेट्रोलियम शोधन के सुरक्षा पहलुओं ' पर आयोजित कार्यशाला में रिफायनरी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया । इस कार्यशाला में संगठन के श्री आर. के. मंडोला, उप-मु.वि.नि. और श्री ए. के. यादव, वि.नि. द्वारा रिफायनरी के अन्य अधिकारियों के साथ शोध पत्र प्रस्तुत किए गए ।

10. श्री ए.शेख हुसैन, उप-वि.नि. ने दि. 07.06.2012 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक कार्यालय में विस्फोटक कारखानों के लिए " सुरक्षा प्रबंधन योजना ' पर एक प्रस्तुति दी ।

11. श्री ए. के. यादव, वि.नि. ने दि. 12.06.2012 को कार्यालय में हिन्दी कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी कार्यशाला संबोधित की ।

12. श्री एच.पी. सांगोले, उप-वि.नि. ने दि. 19.06.2012 को "हॉटस्पॉट्स, एडायबेटिक कॉम्प्रेशन, क्रिटिकल एनर्जी फलूअंस इन एक्स्प्लोजिव्स" पर एक प्रस्तुति दी ।

13. श्री जी.एम. पर रेड्डी संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई द्वारा दि. 06.07.2012 को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ टैंकरों से पेट्रोलियम उत्पादों के निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान खुदरा दुकानों में घटित दुर्घटनाओं की संख्या के बारे में एक बैठक का आयोजन किया ।

14. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , वडोदरा कार्यालय में श्री भरत टिल्वा द्वारा " संपिडित वेसल्स के लिए एस्सार हैवी इंजीनियरिंग सर्विसेज की विनिर्माण इकाई " पर प्रस्तुति दी ।

15. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , वडोदरा कार्यालय में दि. 24.08.2012 को श्री एस. डी. मिश्रा, उप-वि.नि., बडौदा ने " पेट्रोलियम प्रतिष्ठान " पर प्रस्तुति दी ।

16. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई कार्यालय में दि. 29.08.2012 को श्री एच.पी. सांगोले, उप-वि.नि. ने "कॅथोडिक संरक्षण सिस्टम" पर एक व्याख्यान दिया ।

17. श्री ए. के. यादव, वि.नि. ने दि. 31.08.2012 को बीआयएस की केमिकल हजार्डस् -सीएचडी 8:2 की 9 वी बैठक में अल्टरनेट मेंबर के रूप में भाग लिया ।

18. श्री आर. के. मंडोला, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई ने दि. 12.09.2012 को हुई बैठक में भाग लिया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में पड़े खतरनाक माल / कचरे के निपटान में तेजी लाने के लिए तौर तरीकों के बारे में एक बैठक में भाग लिया

19. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई कार्यालय में बीपीसीएल के अधिकारियों ने दि. 04.09.2012 को उनके उरण बॉटलिंग प्लांट में क्रायोजेनिक एलपीजी सिस्टम पर एक व्याख्यान दिया ।

20. श्री ए.शेख हुसैन, उप-वि.नि. ने दि. 14.09.2012 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक कार्यालय, मुंबई के अधिकारियों को आतिशबाजी के विनिर्माण पर एक व्याख्यान दिया ।

21. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई कार्यालय के सभाकक्ष में दि. 01.10.2012 को क्षमता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत श्री जी.एम. रेड्डी संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई द्वारा "सिंगल बेस प्रोपलंट" विषय पर एक व्याख्यान दिया गया ।

22. श्री जी.एम. पर रेड्डी संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई ने दि. 06.10.2012 को पुणे में पश्चिमी क्षेत्र में एचपीसीएल के वितरण अधिकारियों के लिए " रसोई गैस के भंडारण और परिवहन में सुरक्षा पहलु " पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया ।

23. डॉ. (श्रीमती) संजना शर्मा , उप-मु.वि.नि., बड़ौदा, ने दि. 18.10.2012 को गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में भाग लिया ।

24. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई कार्यालय में दि. 09.10.2012 को "सुरक्षा और एलएनजी का उपयोग" विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

25. डा. डी.सी. पांडे, वि.नि., बड़ौदा, ने दि. 18.10.2012 को गांधीनगर में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के लिए अंतर मंत्रालयीन बैठक में भाग लिया ।

26. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई कार्यालय में दि. 23.10.2012 को उपांचल कार्यालय प्रमुखों की तिमाही बैठक आयोजित की गई थी । इस अवसर पर श्री जी.एम. पर रेड्डी संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई ने "कॅथोडिक संरक्षण और एनसी सिंगल बेस प्रोपलंट " पर व्याख्यान दिया ।

27. डॉ.(श्रीमती) संजना शर्मा , उप-मु.वि.नि., बड़ौदा, ने संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई कार्यालय में दि. 29.10.2012 को आयोजित त्रैमासिक बैठक में भाग लिया ।

28. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , बडौदा कार्यालय में दि. 29.10.2012 से 03.11.2012 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत दि. 02.11.2012 को गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड , वडोदरा से वक्ता आमंत्रित कर "सार्वजनिक खरीद में पारदर्शीता" पर कार्यशाला भी आयोजित की गई ।

29. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , बडौदा कार्यालय में दि. 29.10.2012 से 03.11.2012 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न् प्रतियोगिताएं/ कार्यक्रम आयोजित किए । श्री डी.पी. सिंह, कर्नल (सेवानिवृत्त) , स्थानीय गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष मुख्य अतिथि थे ।

30. पेसो और एचपीसीएल द्वारा संयुक्त रूप से दि. 15.12.2012 को आयोजित संगोष्ठी में " खुदरा दुकानों में स्टैटिक बिजली के खतरें" पर तथा श्री आर. के. मंडोला, उप मु.वि.नि. ने "पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन में सुरक्षा" विषयों पर व्याख्यान दिएं ।

31. श्री आर. के. मंडोला, उप मु.वि.नि. ने दि. 20.12.2012 को सुरक्षा परिषद , मुंबई द्वारा आयोजित "पेट्रोलियम नियम, 2002 और विस्फोटक नियम, 2008" पर व्याख्यान दिया ।

32. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई कार्यालय में दि. 27.12.2012 को सभाकक्ष में आयोजित एमएसआयएचसी (MSIHC) नियम पर व्याख्यान दिया ।

33. श्री जी.एम. पर रेड्डी, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , मुंबई ने मे. आयओसीएल, हज़ीरा, जिला सूरत के पेट्रोलियम प्रतिष्ठापन का निरीक्षण किया । परिसर में प्रमुख टैंक अग्नि दुर्घटना के मद्देनजर इस निरीक्षण में उनके साथ डॉ.(श्रीमती) संजना शर्मा , उप-मु.वि.नि., बड़ौदा, डा. डी.सी. पांडे, वि.नि., बड़ौदा और श्री ए. के यादव, वि.नि., मुंबई भी सहभागी हुए ।

34. श्री जी.एम. पर रेड्डी, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई ने दि. 11.01.2013 को कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर में विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के विनष्टीकरण के संदर्भ में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी "एक्स्प्लोसेफ 2013" में भाग लिया ।

35. श्री जी.एम. पर रेड्डी, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई ने दि. 12.01.2013 को कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर में विस्फोटकों के विनिर्माण, परिवहन, भंडार, आदि में सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में "थोक इमल्शन विस्फोटकों के विनिर्माण में सुरक्षात्मक पहलुओं " विषय पर व्याख्यान दिया ।

36. डा. डी.सी. पांडे, विस्फोटक नियंत्रक, बड़ौदा ने दि. 16.01.2013 को अहमदाबाद में गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया ।

37. डा. डी.सी. पांडे, विस्फोटक नियंत्रक, बड़ौदा ने दि. 22.02.2013 और 23.02.2013 को कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर में अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012, के कार्यान्वयन, सामान्य प्रशासनिक मुद्दों, सीएनजी भरण स्टेशन और ओम शांति फायरवर्क्स, सिवाकासी के संबंध में मु.वि.नि. द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया ।

38. श्री एस. एम. कुलकर्णी, वि.नि. ने दि. 23.02.2013 को आयुध कारखाना, भंडारा में "विस्फोटक का परिवहन" विषय पर व्याख्यान दिया ।

39. "अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 " पर वडोदरा में दि. 09.03.2013 को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कुल 66 प्रतिभागी जिसमें मुख्यतः जिला प्राधिकारियों में पुलिस अधिकारी , जीएनएफसी अधिकारी , अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के अंतर्गत विभिन्न अनुज्ञप्ति के आवेदक और उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, वडोदरा कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के एएनएफओ (ANFO) विनिर्माता मुख्य रूप से उपस्थित थे ।

40. वि.नि., वर्धा द्वारा दि. 25.03.2013 को अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012, के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया ।

41. श्री एस. एम. कुलकर्णी, वि.नि. ने दि. 25.03.2013 को नागपुर और अमरावती के जिला प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को विभागीय परीक्षण केंद्र में "अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012, के कार्यान्वयन" विषय पर व्याख्यान दिया ।

42. सुरक्षा ऑडिट टीम के एक सदस्य के रूप में सुरक्षा ऑडिट करने हेतु विभिन्न विस्फोटक विनिर्माण इकाइयों/ गोदामों तथा इससे जुडे मैगिजन्स का दौरा किया ।

43. श्री वी. बी. बोरगाँवकर, विस्फोटक नियंत्रक ने विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 पर नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज, नागपुर के प्रशिक्षुओं को व्याख्यान दिया ।

<u>उत्तरी अंचल :</u>

क. <u>विजिट्स</u>

1. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर कार्यालय में दि. 14.09.2012 को श्री. हरि शंकर शर्मा, व्याख्याता, केन्द्रीय विद्यालय नंबर 4, जयपुर द्वारा हिन्दी कार्यशाला संबोधित की गई ।

2. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर कार्यालय में दि. 17.09.2012 को श्री. चिरंजी लाल खटीक, शाखा प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, टीपीएस शाखा, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा हिन्दी कार्यशाला संबोधित की गई ।

3. डॉ. एस कमल, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर ने विस्फोटक नियम 2008 के आरई 11 और आरई 12 फार्म के ऑनलाइन जेनरेशन के लिए उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर कार्यालय में दि. 18.09.2012 को एक कार्यशाला संचालित करने के लिए दौरा किया ।

4. डॉ. एस कमल, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर ने दि. 18.09.2012 को पेसो के नए पेट्रोलियम ऑनलाइन मॉड्यूल लॉंच करने हेतु ट्रायल रन के लिए उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर कार्यालय का दौरा किया ।

5. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2012 के दौरान दि. 02.11.2012 को श्री जगदीश प्रसाद, इंस्पेक्टर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर और श्री. जे.एस. यादव, इंस्पेक्टर, सीबीआई, जयपुर सीबीआई द्वारा उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर कार्यालय में कार्यशाला हेतु अतिथि वक्ता के रूप में दौरा किया ।

6. श्री आर.सी. कौल, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , फरीदाबाद ने दि. 08.05.2012 और दि. 09.05.2012 को निरीक्षण के लिए चंडीगढ़ कार्यालय का दौरा किया ।

7. संयुक्त निदेशक, राजभाषा, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , फरीदाबाद कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दि. 09.04.2012 को हिन्दी कार्यशाला संबोधित की ।

<u>ख. बैठकें</u>

1. श्री पी. कुमार, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक चंडीगढ़ ने दि. 13.04.2012 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , फरीदाबाद कार्यालय में सरकारी मामलों के बारें में बैठक में चर्चा की ।

2. श्री पी. कुमार, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक चंडीगढ़ द्वारा श्री टी.आर. तोमस, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के साथ श्रीनगर में दि. 29.06.2012 से 01.07.2012 तक संसदीय समिति की बैठक में भाग लिया ।

3. श्री पी. कुमार, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक चंडीगढ़ द्वारा दि. 17.07.2012 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , फरीदाबाद कार्यालय में बैठक में भाग लिया ।

4. डॉ. ए. कुमार, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर द्वारा दि. 31.08.2012 को कार्यालय के श्री उमेश प्रसाद, नि.श्रे.लि. के साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा और हक), जयपुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 63वी अर्धवार्षिक बैठक में भाग लिया ।

5. डॉ. ए. कुमार, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर द्वारा दि. 17.09.2012 और 18.09.2012 को मु.वि.नि., सं.मु.वि.नि.,चेन्नई तथा श्री विनोद कुमार,उप-मु.वि.नि.,फरीदाबाद के साथ सिवाकासी में आतिशबाजी कारखाने में हुई दुर्घटना के सिलसिले में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव के कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

6. डा. वाई. खरे, विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर ने आतिशबाजी परिसर के निरीक्षण के संदर्भ में ज़िला मजिस्ट्रेट, अजमेर तथा अन्य जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ दि. 21.09.2012 को हुई बैठक में भाग लिया ।

7. श्री अजय सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, चंडीगढ़ ने दि. 23.10.2012 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , फरीदाबाद कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

8. डॉ. ए. कुमार, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर द्वारा दि. 23.10.2012 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , फरीदाबाद कार्यालय में प्रशासनिक मामलों पर आयोजित बैठक में भाग लिया ।

9. डॉ. ए. कुमार, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर ने दि. 08.11.2012 को जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के कार्यालय में जिला संकट समूह की बैठक में भाग लिया ।

10. डॉ. ए. कुमार, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर ने दि. 10.11.2012 को जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के कार्यालय में एलपीजी आपूर्ति, पेट्रोल पंप्स की सुरक्षा और मिट्टी के तेल की आपूर्ति के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

11. डॉ. ए. कुमार, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर ने दि. 23.11.2012 को जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के कार्यालय में शहर में भीड़भाड़ इलाके में स्थित 23 पेट्रोल पंपों की सुरक्षा के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

12. डॉ. ए. कुमार, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर द्वारा दि. 13.02.2013 को कार्यालय के श्री उमेश प्रसाद, नि.श्रे.लि. के साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा और हक), जयपुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 64वी अर्धवार्षिक बैठक में भाग लिया ।

13. श्री. आर. रावत, विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर ने दि. 15.02.2012 को जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू के कार्यालय में जिला संकट समूह की बैठक में भाग लिया । उन्होंने बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों को विस्फोटक नियम, 2008 के आरई 7, आरई 11 और आरई 12 फार्म्स के ऑनलाइन जेनरेशन के बारे में विस्तार से बताया ।

14. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने संसदीय समिति की बैठक के सिलसिले में दि. 11.04.2012 को मु.वि.नि. के साथ डीआईपीपी, नई दिल्ली में उपस्थित हुए ।

15. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 17.04.2012 को एनडीएमए के साथ रसायन आपदाओं के शमन और "कारखानों के निरीक्षणालय" संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार के बारे में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

16. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 18.04.2012 को विस्फोटकों के प्रभावी ट्रैकिंग के लिए डीआईपीपी, नई दिल्ली में आयोजित "कंसल्टेंसी समीक्षा समिति" की बैठक में भाग लिया ।

17. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 23.05.2012 को सीएनजी सिलेंडरों के लिए आरएफआईडी टैग्स विषय पर उप समिति की पीएनजीआरबी, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

18. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 25.05.2012 को सावित्री फायरवर्क्स की अनुज्ञप्ति रद्द करने के मामले में संयुक्त सचिव के समक्ष अपील की कार्यवाही में भाग लिया और डीआईपीपी, नई दिल्ली द्वारा " विस्फोटकों के ट्रेसिंग और ट्रैकिंग" परियोजना पर बुलाई गई बैठक में डा. एस. कमल, सं.मु.वि.नि., मुख्यालय के साथ भाग लिया । एनआईएसजी और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया ।

19. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 08.06.2012 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एनएचपीसी में हुई बैठक में भाग लिया ।

20. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 03.08.2012 को डीआईपीपी में हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में तथा विस्फोटकों के ट्रेसिंग और ट्रैकिंग संबंधी बैठक में भाग लिया ।

21. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने इकोब्रेक प्रौद्योगिकी सुरक्षा कारतूस पर विशेष सचिव (गृह मंत्रालय) के साथ बैठक में भाग लिया ।

22. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद दि. 17.10.2012 को मु.वि.नि. की संयुक्त सचिव के समक्ष प्रेंझेंटेशन के दौरान उनके साथ डीआईपीपी, नई दिल्ली में उपस्थित हुए ।

23. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 09.11.2012 को एनआईएसजी के साथ डीआईपीपी, नई दिल्ली द्वारा "विस्फोटकों के ट्रेसिंग और ट्रैकिंग" और एल एन जी पर बुलाई गई बैठक में डा. एस. कमल, सं.मु.वि.नि., मुख्यालय के साथ भाग लिया ।

24. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 12.12.2012 को मुख्यालय में गैस सिलेंडर नियम, 2004 और स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के संशोधन के लिए उप समिति की बैठक में भाग लिया ।

25. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि.फरीदाबाद ने दि. 19.12.2012 को प्रातः गृह मंत्रालय की बीपी, अनुसंधान और विकास नई दिल्ली में आइईडी/बारूदी सुरंगों के लिए एसओपी हेतु आयोजित बैठक में भाग लिया । दोपहर बाद मु.वि.नि. के साथ डीआईपीपी, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के साथ हुई बैठक में सहभाग किया ।

26. श्री. आर सी कौल, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद ने दि. 04.01.2013 को सिवाकासी में घटित आतिशबाजी दुर्घटना के लिए जांच समिति की बैठक हेतु व्यवस्था के संबंध में होटल सेंटूर, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

27. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि. फरीदाबाद ने दि. 16.01.2013 को होटल सेंटूर, नई दिल्ली में जांच समिति की बैठक के लिए निरीक्षण की व्यवस्था में भाग लिया ।

28. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 28.01.2013 को डीआईपीपी, नई दिल्ली में अमोनियम नाइट्रेट नियम के संबंध में संयुक्त सचिव से मुलाकात की ।

29. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 20.02.2013 को बीपी, अनुसंधान और विकास नई दिल्ली में आइईडी/बारूदी सुरंगों के लिए एसओपी हेतु आयोजित गृह मंत्रालय की बैठक में भाग लिया ।

30. श्री. आर सी कौल, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद ने दि. 22.02.2013 को अंचल प्रमुखों और सीएनजी पर बैठक में भाग लिया ।

31. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि. फरीदाबाद ने दि. 06.03.2013 को डीआईपीपी, नई दिल्ली में अमोनियम नाइट्रेट नियम, ग्रीन ब्रेक टेक्नालाजी और टैग्स ऑन के संबंध में संयुक्त सचिव, निदेशक से मुलाकात की ।

32 श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि. फरीदाबाद ने दि. 25.02.2013 को डीआईपीपी, नई दिल्ली में " विस्फोटकों के ट्रेसिंग और ट्रैकिंग" परियोजना पर बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।

33. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि., फरीदाबाद ने दि. 20.03.2013 को अमोनियम नाइट्रेट नियम में संशोधन हेतु निदेशक, डीआईपीपी, नई दिल्ली से मुलाकात की ।

34. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि. फरीदाबाद ने दि. 21.03.2013 को अमोनियम नाइट्रेट नियम में संशोधन एवं अन्य संबंधित मामलो हेतु सचिव, डीआईपीपी, नई दिल्ली से मुलाकात की ।

35. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि. फरीदाबाद ने दि. 22.03.2013 को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन के संबंध में तथा आतिशबाजी दुर्घटना की जांच समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार विमर्श में मु.वि.नि. के साथ डीआईपीपी, नई दिल्ली में सहभाग किया ।

36. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि. फरीदाबाद ने दि. 23.03.2013 को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन के संबंध में तथा आतिशबाजी दुर्घटना की जांच समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार विमर्श में मु.वि.नि. के साथ डीआईपीपी, नई दिल्ली में सहभाग किया ।

ग-संगोष्ठी:

1. श्री आर.सी.कौल, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद और श्री विनोद कुमार, उप-मु.वि.नि., फरीदाबाद ने कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी "एक्स्प्लोसेफ 2013" मे भाग लिया ।

2. डॉ. जी.के. पाण्डेय ने दि. 17.04.2012 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद कार्यालय में एएलडीएस-परिचय और सुरक्षा के मुद्दों पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी ।

घ. व्याख्यान:

1. श्री पी. कुमार, उप. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चंडीगढ़, द्वारा 20-21 अप्रैल'2012 को आग, विस्फोट और सुरक्षा, गैस सिलेंडर नियम, 2004, स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981, एमबी लाल समिति की सिफारिशों, विभिन्न ओआईएसडी, आयएसआय मानकों और विभिन्न एएसएमई कोड के वैधानिक प्रावधानों पर मे. एचपीसीएल, बारी ब्राह्मण, जम्मू एवं कश्मीर के अधिकारियों को व्याख्यान / प्रस्तुति दी ।

2. श्री पी. कुमार, उप. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चंडीगढ़, द्वारा दि. 19.05.2012 को मे. खैबर पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स,लाडु लाटपोरा, जि. पुलवामा, कश्मीर के अधिकारियों को "गैस सिलेंडर नियम, 2004, स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981, विभिन्न ओआईएसडी, मानकों और भरण और सिलेंडर हथलाई के विभिन्न सुरक्षा उपकरणों" पर व्याख्यान दिया ।

3. श्री पी. कुमार, उप. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चंडीगढ़, ने दि. 26.11.2012 को तनाव प्रबंधन पर कार्यालय के सभी सदस्यों को पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी ।

4. श्री पी. कुमार, उप. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चंडीगढ़, ने दि.18.09.2012 को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 पर एनएफएल, नंगल यूनिट, पंजाब में आयोजित कार्यशाला के दौरान व्याख्यान दिया

5. श्री पी. कुमार, उप. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चंडीगढ़, ने दि.21.12.2012 को पंचकूला में आईओसीएल, चंडीगढ़ के अधिकारियों के लिए, पेट्रोलियम नियम पर 2002 व्याख्यान दिया ।

6. श्री अजय सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, चंडीगढ़, ने सोलन जिले में अपनी यात्रा के दौरान फार्मा उद्योग पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों में सुरक्षा के महत्व के बारे में प्रशिक्षण/ व्याख्यान दिया ।

7. श्री. आर. रावत, विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर ने बीकानेर में दि.21.04.2012 को खुदरा दुकानों में पेट्रोलियम सड़क टैंकर से भूमिगत टैंक में पेट्रोलियम उत्पादों की उतराई के दौरान सुरक्षा के

संबंध में सभी तेल कंपनियों के अधिकारियों और रिटेल आउटलेट डीलरों को एक व्याख्यान दिया ।

8. श्री. आर. रावत, विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर ने बीकानेर में दि.14.06.2012 को आरइसीएल, धौलपुर को विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति के अधिवासी और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ऑनलाइन सत्यापन तथा विस्फोटक नियम 2008 के आरई-12 फार्म को ऑनलाइन जमा करने के बारे में व्याख्यान दिया ।

9. श्री. ए. कुमार, उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर ने दि.05.09.2012 और दि.25.02.2013 को एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में सुरक्षा के संबंध में बीपीसीएल, जयपुर के अधिकारियों को व्याख्यान दिया ।

10. श्री. ए. कुमार, उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर ने दि.26.09.2012 और दि.21.03.2013 को एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में सुरक्षा के संबंध आयओसीएल, जयपुर के अधिकारियों को व्याख्यान दिया ।

11. डा. वाई. खरे, वि.नि., जयपुर ने दि.19.12.2012 को बीपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, अजमेर तथा एलपीजी रोड टैंकरों के चालकों को रोड टैंकरों में तरल एलपीजी लोड /अनलोड करते समय जरूरी सुरक्षा पहलुओं के बारे में व्याख्यान दिया ।

12. डा. वाई. खरे, वि.नि., जयपुर ने दि.21.12.2012 को एचपीसीएल डेपो, अजमेर तथा पेट्रोलियम रोड टैंकरों के चालकों को रोड टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थ लोड करते समय और रिटेल आउटलेट के भूमिगत टैंक में टैंकरों और पेट्रोलियम उत्पादों को अनलोड करते समय जरूरी सुरक्षा पहलुओं के बारे में व्याख्यान दिया ।

13. डॉ. जी.के. पांडे, उप- विस्फोटक नियंत्रक ने दि. 17.04.2012 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद के कार्यालय में "एएलडीएस-परिचय और सुरक्षा के मुद्दे" पर प्रस्तुति दी ।

<u>ई. कार्यशालाएं</u>

1. श्री. आर सी कौल, सं.मु.वि.नि.,फरीदाबाद और श्री अजय सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, चंडीगढ़, ने दि.18.09.2012 को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 पर एनएफएल, नंगल यूनिट, पंजाब में आयोजित कार्यशाला एवं प्रशिक्षण में भाग लिया ।

2. श्री अजय सिंह, विस्फोटक नियंत्रक, चंडीगढ़, ने दि.13.09.2012 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद कार्यालय में आरई 11 और आरई 12 फार्म के ऑनलाइन मॉड्युल संबंधी कार्यशाला में भाग लिया ।

3. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि. और श्री पी. कुमार, उप. मुविनि., ने दि. 31.08.2012 को श्रीनगर में एआयआयजीएमए (AIIGMA) द्वारा आयोजित तकनीकी कार्यशाला में भाग लिया ।

4. श्री. आर रावत, वि.नि., जयपुर ने दि. 13.09.2012 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद कार्यालय में श्री एस. ढोके, तकनीकी निदेशक, एनआईसी, नागपुर द्वारा आरई 11 और आरई 12 फार्म के ऑनलाइन मॉड्युल संबंधी संचालित कार्यशाला में भाग लिया ।

5. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि.,फरीदाबाद द्वारा श्री पी. सी. श्रीवास्तव, सं-मु.वि.नि., मुख्यालय, नागपुर के साथ दि. 20.06.2012 को मे. इंटरटेक इंडिया (प्रा)लि में विस्फोट, संरक्षण, परीक्षण सुविधाओं की क्षमता का आकलन करने के लिए दौरा किया ।

6. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि.,फरीदाबाद ने दि. 31.08.2012 को उप. मु.विनि., चंडीगढ कार्यालय में आयोजित गैस उद्योग पर सुरक्षा कार्यशाला में भाग लिया ।

7. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि.,फरीदाबाद ने दि. 05.10.2012 को होटल ताज, नई दिल्ली में आईएसए द्वारा आयोजित PNID -2012 सम्मेलन में 'खतरनाक क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों के लिए नियामक ढांचा' पर एक तकनीकी सत्र में भाग लिया ।

8. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि.,फरीदाबाद ने दि. 03.11.2012 को नागपुर में होटल तुली इंटरनेशनल में एएलडीएस (ALDS) पर कार्यशाला में " एएलडीएस- पेसो के परिप्रेक्ष्य में 'विषय पर प्रस्तुति दी ।

9. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि.,फरीदाबाद ने दि. 24.11.2012 को गुड़गांव में होटल लीला केंपिंस्की में AIIGMA के उत्तरी शाखा द्वारा आयोजित औद्योगिक गैसों पर कार्यशाला में भाग लिया ।

10. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि.,फरीदाबाद ने दि. 08.12.2012 को पेसो के साथ तकनीकी सहयोग में दीपक फर्टिलाइजर और हितधारकों द्वारा 'अमोनियम नाईट्रेट नियम' पर आयोजित कार्यशाला में सभा को संबोधित किया ।

11. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि.,फरीदाबाद ने दि. 29.01.2013 को होटल रैडिसन ब्लू, नई दिल्ली में गैस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित "ऑक्सीजन सुरक्षा 'विषय पर एक कार्यशाला का उद्घाटन कर संबोधित किया ।

12. श्री आर.सी.कौल, सं.मु.वि.नि.,फरीदाबाद ने दि. 30.03.2013 को एयर लिक्विड के पानीपत संयंत्र में उनके सुरक्षा दिवस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया ।

13. डा. जी. के. पांडे, उप-वि.नि. पर 'आक्सीजन सुरक्षा संगोष्ठी "नई दिल्ली पर एक दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया ।

मध्यांचल:

बैठकें / संगोष्ठियां / व्याख्यान

1. श्री एस.के. भोले, उप-वि.नि. ने दि. 19.04.2012 और 27.12.2012 को मु.वि.नि., नागपुर कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

2. श्री पी.के. शर्मा, उ.श्रे.लि. और श्री एम.एम. गुप्ता अ.श्रे.लि. ने दि. 20.07.2012 और 21.07.2012 को 'डॉट नेट पेट्रोलियम मॉड्यूल' पर मु.वि.नि., नागपुर कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

3. श्री एम.आय. ज़ेड. अंसारी, वि.नि. ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 27.08.2012 से 29.08.2012 तक 'समूह निर्माण और नेतृत्व' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

4. डा. ए.के. यादव, उप-मु. वि.नि. ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 19.11.2012 से 23.11.2012 तक 'सुशासन' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

5. श्री ए. बशीर, वि.नि. ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 11.02.2012 से 14.02.2012 तक ' "रिकार्ड प्रबंधन आरटीआई-2005" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

6. श्री एस.के. भोले, उप-वि.नि. ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 11.02.2012 से 14.02.2012 तक ' "रिकार्ड प्रबंधन आरटीआई-2005" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया

7. श्री एम.के. पाण्डेय, वि.नि. ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 11.02.2012 से 14.02.2012 तक ' " आरटीआई एक्ट -2005" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

8. डा. ए.के. यादव, उप-मु. वि.नि. ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 11.03.2012 से 12.03.2012 तक 'प्रेझेंटेशन स्किल्स' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

9. कार्यालय मे दि. 26.11.2012 को अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डॉट नेट पेट्रोलियम मॉड्यूल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था । सभी अधिकारी और संबंधित कर्मचारियों के सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया ।

10. श्री आर. एन. मीणा, वि.नि. ने दि. 11.01.2013 और 12.01.2013 को कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी "एक्स्प्लोसेफ 2013" मे भाग लिया ।

11. श्री आर. एन. मीणा, वि.नि. ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 27.08.2012 से 29.08.2012 तक 'समूह निर्माण और नेतृत्व' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

12. श्री ए.के. मेहता, वि.नि. ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 19.11.2012 से 23.11.2012 तक 'सुशासन' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

13. श्री ए.के. मेहता, वि.नि. इलाहाबाद ने सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय मे पेट्रोलियम डॉट नेट मॉड्यूल पर दि. 18.01.2012 से 21.01.2012 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

14. श्री एन. मोहंती, सहायक ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 08.10.2012 से 10.10.2012 तक 'टिप्पण आलेखन' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

15. श्री एस.एस. सरैया, उ.श्रे.लि. ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 22.08.2012 से 24.08.2012 तक तक "पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर कार्यक्रम" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

16. श्री एस.एस. सरैया, उ.श्रे.लि. ने दि. 20.07.2012 और 21.07.2012 को 'पेट्रोलियम डॉट नेट मॉड्यूल' पर मु.वि.नि., नागपुर कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

17. श्री शरद चंद्र, अ.श्रे.लि. ने सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय ने पेट्रोलियम डॉट नेट मॉड्यूल पर दि. 18.01.2012 से 21.01.2012 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

18. श्री एम.के. झाला, उप-मु.वि.नि., भोपाल ने दि. 16.04.12 से 20.04.12 तक मु.वि.नि., नागपुर कार्यालय में आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

19. श्री ए.के. दुबे, उ.श्रे.लि., भोपाल ने दि. 20.07.2012 और 21.07.2012 को 'पेट्रोलियम डॉट नेट मॉड्यूल' पर मु.वि.नि., नागपुर कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

20. श्री एम. के. तितरे, वि.नि. ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 27.08.2012 से 29.08.2012 तक ' ज्ञान प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम ' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया

21. श्री एम.के. झाला, उप-मु.वि.नि., भोपाल ने आयएसटीएम,नई दिल्ली में दि. 19.11.2012 से 23.11.2012 तक 'सुशासन' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

22. श्री जनार्दन कुमार और श्री ए.क. दूबे, उ.श्रे.लि. ने सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय मे पेट्रोलियम डॉट नेट मॉड्यूल पर दि. 19.12..2012 से 21.12..2012 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

23. डॉ. (श्रीमती)आर. आर. गुप्ता, वि.नि., ने सं.मु.वि.नि.,आगरा द्वारा आयोजित "त्रैमासिक समीक्षा बैठक" में भाग लिया । दि. 2.10.2012 को 'सीएनजी सुरक्षा' विषय पर आगरा कार्यालय द्वारा आयोजित में संगोष्ठी में भाग लिया ।

24. डॉ. (श्रीमती)आर. आर. गुप्ता, वि.नि., ने दि. 20.07.2012 को सं.मु.वि.नि.,आगरा द्वारा एचपीसीएल के साथ आयोजित समन्वय बैठक में भाग लिया ।

25. डॉ. (श्रीमती)आर. आर. गुप्ता, वि.नि., ने दि. 20.07.2012 को सं.मु.वि.नि.,आगरा द्वारा मथुरा रिफाइनरी, मथुरा के अधिकारियों के साथ आयोजित समन्वय बैठक में भाग लिया ।

26. श्री विवेक कुमार, उप-वि.नि. ने दि. 11.01.2013 और 12.01.2012 को कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी "एक्स्प्लोसेफ 2013" मे भाग लिया ।

27. श्री विवेक कुमार, उप-वि.नि. ने दि. 19.12.2012 को सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय मे समग्र डीडी प्रविष्टि विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया ।

28. श्री विवेक कुमार, उप-वि.नि. ने दि. 20.12.2012 को सं.मु.वि.नि., आगरा कार्यालय मे दुर्घटना जॉच प्रशिक्षण में भाग लिया ।

29. डॉ. रूआब अली, विस्फोटक नियंत्रक, रायपुर ने आयएसटीएम, नई दिल्ली में 03 दिनों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया ।

30. डॉ. रूआब अली, विस्फोटक नियंत्रक, रायपुर और श्री एस. के. शर्मा, उप-वि.नि. ने दि. 11.01.2013 और 12.01.2013 को कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक , नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी "एक्स्प्लोसेफ 2013" मे भाग लिया ।

पूर्वांचल, कोलकाता

बैठकें-संगोष्ठियाँ-व्याख्यान

1. कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, कोलकाता में 'संबंधित सुरक्षा पहलू के साथ वाल्व के डिजाइन और निर्माण' इस विषय पर अंतरिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था । मेसर्स टेक्नो वाल्व के श्री रोहित बेहानी ने एक तकनीकी प्रस्तुति दी । इसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों ने भाग लिया ।
2. जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता में 28-29.9.2012 को 'प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमैंट' विषय पर दो दिन की कार्यशाला आयोजित की गई । इसमें उपांचल कार्यालयों के साथ पूर्वांचल कोलकाता कार्यालय के सभी अधिकारियों ने भाग लिया । करीब 63 प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया ।
3. दिनांक 08/06/2012 को कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, कोलकाता में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी उप अंचल प्रमुखों ने भाग लिया ।
4. दिनांक 27/09/2012 को कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, कोलकाता में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी उप अंचल प्रमुखों ने भाग लिया ।
5. डॉ डी.जे. रॉय, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने दिनांक 11/12/2012 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर कार्यालय में बैठक में भाग लिया ।

6. डॉ डी.जे. रॉय, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा श्री के.पी. शर्मा, विस्फोटक नियंत्रक ने दिनांक 11/01/2013 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर कार्यालय में बैठक में भाग लिया ।
7. दिनांक 11/12.1.2013 को नागपुर में आयोजित एक्सप्लोसेफ 2013 – सेफ्टी सिक्युरिटी एंड रिसेंट ट्रेन्डस इन एक्सप्लोसिव्स' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में डॉ डी.जे. रॉय, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा श्री के.पी. शर्मा, विस्फोटक नियंत्रक ने भाग लिया ।
8. डॉ डी.जे. रॉय, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने पेसो का प्रतिनिधित्व करते हुए कोलकाता में दिनांक 2.12.12 को ई गवर्नेंस पुरस्कार 2011-12 ग्रहण किया ।
9. डॉ डी.जे. रॉय, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा श्री एस.के. शुक्ला, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) पश्चिम बंगाल स्टेट सेंटर द्वारा आयोजित दिनांक 15/16.3.13 पर प्रक्रिया उद्योगों में जोखिम/ सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया ।
10. श्री एस.के. शुक्ला, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने दिनांक 22/02/2013 को नागपुर में बैठक में भाग लिया ।
11. श्री एस.के. शुक्ला, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने दिनांक 04/03/2013 को गंगटोक, सिक्किम में अमोनियम नाइट्रेट नियम के कार्यान्वयन पर संगोष्ठी में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया ।
12. दिनांक 20/02/2013 को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की विशेषताएं इस विषय पर कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आसनसोल में कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिला और पुलिस प्राधिकरण के अधिकारियों को शिक्षित करना था । कार्यशाला से 15 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए । डॉ. आर.के. राठौर, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने उक्त नियमों पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी ।
13. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आसनसोल ने दिनांक 22/12/2012 को मेसर्स ईसीएल, कुनुसटोरिया क्षेत्र में विस्फोटक नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तथा आरई-11 और आरई-12 के ऑनलाइन जनरेशन और तिमाही रिटर्न का ऑनलाइन फाईलिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया । डॉ. आर.के. राठौर, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने दिनांक 11/12.1.2013 को नागपुर में आयोजित 'एक्सप्लोसेफ 2013' संगोष्ठी में भाग लिया ।
14. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आसनसोल द्वारा अध्यक्ष, स्टोन माइंस ओनर्स एसोसिएशन, जिला – बीरभूम की सक्रिय सहायता से डीआरडीए, जिला परिषद हॉल, सूरी में दिनांक 26/02/2013 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में डॉ. आर.के. राठौर, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने अमोनियम नाइट्रेट नियमों पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी । कार्यशाला में अनुज्ञप्तिधारकों, कई स्टोन माइंस ओनर्स और जिला परिषद, जिला - बीरभूम के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया ।
15. डॉ. आर.के. राठौर, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा श्री ए.के. घोषाल, विस्फोटक नियंत्रक ने दिनांक 12/03/2013 को मेसर्स ईसीएल, केंदा क्षेत्र में व्याख्यान दिए ।
16. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, रांची कार्यालय में दिनांक 15/03/2013 को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से लगभग 35 प्रतिनिधियों ने सेमिनार में भाग लिया । श्री आर.पी. सिंह, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने अमोनियम नाइट्रेट नियमों पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी ।

17. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, गुवाहाटी ने, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के कार्यान्वयन संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए गुवाहाटी में दिनांक 27/02/2013 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें अनुज्ञप्तिधारकों और उत्तर पूर्व से जिले के अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

सेवाओं मे अनुसूचित जातियों /जन-जातियों/अन्य पिछडी जातियों/ सेवानिवृत तथा शारिरिक रूप से विकलांग-व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

1. अनुसूचित जातियों /जन-जातियों/अन्य पिछडी जातियों का प्रतिनिधित्व :

संगठन में उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के श्रेणी के एक संपर्क अधिकारी के अधीन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का सेल कार्य करता है । संगठन के अंचल कार्यालयों में भी इसी प्रकार के सेल कार्यरत है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का सेल न केवल पदों के अनारक्षण (डिरिजर्वेशन) संबंधित प्रस्तावों पर देख-रेख करता है, वरन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की श्रेणियों के कर्मचारियों के सेवा-मामलों के संबंध में उठने वाली शिकायतों पर भी गौर करता है, तथा उनकी शिकायतों/समस्याओं को दूर करने में उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही भी करता है ।

संगठन, समय-समय पर अपने नियंत्रण के अधीन प्रशासनिक अनुभागो तथा नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सेवाओ में आरक्षण हेतु निर्देशों के उचित कार्यान्वयन हेतु निर्देश देता है ।

संगठन में तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप 'ए', 'बी', 'सी' तथा 'डी' पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो की संख्या का विश्लेषित विवरण, निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदो की श्रेणी	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की संख्या	अन्य पिछडों जातियों के व्यक्तियों की संख्या
1	ग्रुप 'ए'	15	04	19
2	ग्रुप 'बी'	11	02	04
3	ग्रुप 'सी'	54	26	57
4	ग्रुप 'डी'	23	07	09

<u>सेवा में शारिरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व :-</u>

शारिरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण आदेशों पर प्रभावशाली ढंग से अमल करने को आश्वासित करने हेतु संगठन प्रयासरत है । संगठन ने शारिरिक रूप से विकलांगों द्वारा भरे जाने हेतु 'ए', 'बी', 'सी' तथा 'डी' के कुछ पदों को निर्धारित किया है ।

संगठन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप 'ए', 'बी', 'सी' तथा 'डी' पदों में शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का विश्लेषित विवरण, निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदो की श्रेणी	शारिरिक रूप से विकलांगों की संख्या
1	ग्रुप 'ए'	1
2	ग्रुप 'बी'	0
3	ग्रुप 'सी'	4
4	ग्रुप 'डी'	3

सतर्कता की गतिविधियां

संगठन की सतर्कता गतिविधियों का नेतृत्व संगठन प्रमुख एवं मुख्य विस्फोटक नियंत्रक करते हैं । मुख्यालय नागपुर के अलावा सतर्कता सेल, संगठन के देशभर के सभी अंचल एवं उपअंचल कार्यालयों में, परिक्षण केन्द्र तथा एफआरडीसी, सिवाकासी में कार्यरत है । प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के प्रमुख, सतर्कता सेल का नेतृत्व करते है तथा उनकी रिपोर्ट मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को प्रेषित की जाती है।

निवारक सतर्कता का प्राथमिक उद्देश्य कदाचार और लालच से प्रवण या संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना हैं । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एवं औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जारी किए गये निर्देशों एवं मार्गदर्शन का पालन किया जाता हैं ।

सीवीसी के मार्गदर्शक सिध्दांतो के अनुसरण से संगठन के सभी कार्यालयों में सतर्कता जागृकता सप्ताह मनाया गया । संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शपथ ली तथा सभी मामलो मे समय से निपटान, निष्पक्षता, पारदर्शिता संपादन करने हेतु प्रणाली में उन्नयन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी निवारक उपायों की जागृकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

संगठन के अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए -

- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उस पर सतर्कता रखी जाती हैं ।
- काम के निपटान में देरी तथा कदाचार की संभावनाओं को कम करने हेतु आम जनता के साथ नियमित कार्यालयीन व्यवहारों को अंचल एवं उप-अंचल कार्यालयों में विकेन्द्रीकृत किया गया है ।
- कार्यालय प्रमुख नियमित रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों की गतिविधियों को मॉनिटर करते है ।
- अंचल कार्यालयों के प्रमुख नियमित रूप से उप-अंचल कार्यालयों के प्रमुखों की गतिविधियों को मॉनिटर करते है ।
- मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अंचल प्रमुख तथा मुख्यालय के अन्य अधिकारियों की गतिविधियों को मॉनिटर करते है ।
- नामित अधिकारी तथा कार्यालय/संगठन प्रमुख द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों/ अधिकारियों की गतिविधियों की समिक्षा करने हेतु नियमित और आकस्मिक रूप से निरिक्षण किए जाते हैं ।
- संबंधित अधिकारियों से कार्यालयीन मामलों के संदर्भ में मिलने हेतु आने वाले आगंतुकों को भी सतर्कता की गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है । इसके लिए अलग से स्वागत कक्ष बनाया गया है । उन्हें आगंतुक पास जारी किया जाता है तथा उसपर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर लिये जाते है । इसके अलावा स्वागत क्षेत्र, आगंतुक क्षेत्र, लॉबी आदि की सीसीटीवी प्रणाली के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती हैं ।
- स्वागत कक्ष में संबंधीत अधिकारियों की सूची, उनके गतिविधियों के प्राधिकृत कार्यक्षेत्रों के साथ प्रदर्शित की गई है ।

- जिन कर्मचारियों के कदाचार से लिप्त होने का संदेह हैं, उनकी सूची बनाई गई हैं तथा उनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया जाता हैं ।
- कदाचार के बारे में जनता से प्राप्त शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा उसकी जॉच संगठन प्रमुख/कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाती है ।
- संगठन की वेबसाईट http://peso.gov.in के सब-मेनू 'शिकायत निवारण' के अंतर्गत, संगठन प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुखों के नाम उनके दूरभाष संख्या के साथ दर्शाए गए हैं तथा संगठन की वेब साईट पर नागरिक अधिकारपत्र में स्टेकहोल्डर्स की सुविधा हेतु शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया गया है ।
- अधिकारियों और सहायकों को आचरण नियम के प्रावधानों से तथा भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों से भी अवगत किया जाता है ।

.....

राजभाषा का प्रयोग

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), नागपुर अपने पाँच अंचल कार्यालय तथा अठारह उप-अचंल कार्यालय, विभागीय परीक्षण केंद्र तथा आतिशबाजी अनुसंधान तथा विकास केंद्र के साथ भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य का पूर्ण अनुपालन हेतु समन्वित प्रयास करता हैं । संगठन के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक श्री टी. आर. तोमस के नेतृत्व में पेसो पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और राजभाषा की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने हेतु कृतसंकल्प हैं ।

वर्ष के दौरान कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता लाने के उद्येश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सभी को अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रेरित किया गया । सरकार की राजभाषा नीति का कार्यालय में प्रभावी कार्यान्वयन करते हुए मूल रूप से हिन्दी में कार्य करने हेतु कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना लागू है एवं प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया ।

मंत्रालय, क्षेत्रिय कार्यान्वयन कार्यालय, आदि से प्राप्त विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देश, पत्रादि सभी अंचल /उप-अंचल कार्यालयों को प्रेषित कर, कार्य का मानिटरिंग किया जाता है । जन संपर्क कार्यालय होने के कारण आगंतुको हेतु आगंतुक पास, अधिकारियों के विजिटिंग कार्ड्स द्विभाषी बनवाए गए हैं । राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यालय के सूचना फलक पर प्रतिदिन एक शब्द/सुविचार द्विभाषी दर्शाया जाता है ।

कार्यालय के सभी कंप्युटर पर हिन्दी प्रयोग के लिए मानक भाषा एनकोडिंग - यूनिकोड लोड कर दिए गए हैं । संगठन की वेबसाईट का द्विभाषीकरण पूर्ण कर लिया गया है । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संगठन के ऑनलाईन अनुज्ञप्ती मॉड्युल्स का द्विभाषीकरण पूर्णता पर है । संगठन की अपनी "हिन्दी तिमाही रिपोर्ट मॉड्यूल प्रणाली " का सृजन किया गया हैं तथा अंचल/उप-अंचल कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट ऑनलाईन प्राप्त की जाती हैं ।

मंत्रालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों, पत्रों, आदि को ई-मेल, सपोर्ट साईट द्वारा संगठन के सभी संबद्ध/अधिनस्थ कार्यालयों को यथाशीर्घ अनुपालन हेतु प्रेषित किए जाते हैं ।

संगठन का राजभाषायी निरिक्षण

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का कार्यालयों में जाकर जायजा लेने के उद्देश्य से दिनांक 17 जनवरी 2013 को उप निदेशक(कार्यान्वयन), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी द्वारा उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, गुवाहाटी कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया । माननीय समिति ने गुवाहाटी कार्यालय की राजभाषायी गतिविधियों की सराहना की ।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में सहभाग

माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया, की अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2012 को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में श्री आर.सी. कौल, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद तथा श्री रजनीश पिपलानी, उप मु.वि.नि. नागपुर ने भाग लिया । बैठक में लिए गए निर्णयों का तथा राजभाषा विभाग से समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशो का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा हैं ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठको में सहभाग

राजभाषा हिन्दी की प्रगति हेतु नराकास द्वारा बुलाई गई बैठको मे संगठन के कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सहभाग लिया गया। दिनांक 29.06.2012 को नराकास, नागपुर की 56वीं छमाही बैठक तथा दिनांक 05.12.2012 को नराकास, नागपुर की 57वीं छमाही बैठक में मुख्यालय के श्री रजनीश पिपलानी, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा तथा श्रीमती वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी ने भाग लिया । नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे अंतर्कार्यालयीन हिन्दी प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, आदि मे भी सक्रिय रूप से लिया । नराकास की गतिविधियों के लिए नियमित रूप से अंशदान भी दिया जाता है ।

अंतर्कार्यालयीन हिन्दी प्रतियोगिता का आयोजन

मुख्यालय में दिनांक 22, नवम्बर 2012 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर के तत्वाधान में **चित्र अभिव्यक्ति (कहानी/काव्य लेखन) प्रतियोगिता** का सफलतापूर्वक

आयोजन किया गया । प्रतियोगिता में नागपुर स्थित विभिन्न कार्यालयों से कुल 35 प्रतियोगी सम्मिलित हुए थे ।

इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा लिखित कहानियो का संकलन कर पुस्तक रूप में " अभिव्यक्ति 26/11" नाम से न.रा.का.स.,नागपुर द्वारा प्रकाशित किया गया । इस पुस्तक का संपादन डॉ. संजीव कुमार गोयल, सदस्य सचिव-नराकास एवं प्रधान वैज्ञानिक, नीरी तथा कार्यालय की हिन्दी अधिकारी श्रीमती वैशाली चिरडे द्वारा संपादित किया गया । इस पुस्तक में मुंबई में 26/11/2008 को हुई आतंकवादी घटना के एक ही चित्र पर विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से लिखी विविध आयामों को दर्शाती ऐसी 26 कहानियों को सम्मिलित किया गया हैं ।

हिन्दी पत्रिका-विस्फोटक दर्पण-12 का प्रकाशन

गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित होती हैं और इसी माध्यम से राजभाषा हिन्दी की प्रगति भी होती हैं । इसी उद्देश्य से हिन्दी पखवाडे के अंतर्गत हिन्दी पत्रिका *विस्फोटक दर्पण अंक 12* का प्रकाशन किया गया । पेसो,नागपुर संगठन का मुख्यालय होने के कारण संगठन के सभी अंचल/उप अंचल कार्यालयों की राजभाषायी गतिविधियां, पुरस्कारो, विशेष उपलब्धियों, तथा संगठन के अधिकारी/कर्मचारियों के तकनीकी लेख/रचनाएं, (फोटो सहित) पत्रिका में प्रस्तुत किए गए । पत्रिका में राजभाषा संबंधी आदेश, हिन्दी कार्यान्वयन की समस्त जानकारी, महापुरूषो की उक्तियां, राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देश, वार्षिक कार्यक्रम एवं महापुरूषों के सुविचार प्रस्तुत किए गए ।

प्रत्येक तिमाही में एक तकनीकी न्युजलेटर प्रकाशित किया जाता हैं जिसमें संगठन की राजभाषायी गतिविधियां भी दर्शाई जाती हैं । संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण मुख्यालय से प्रकाशित किया गया ।

इसके अलावा संगठन के आगरा कार्यालय द्वारा मध्यांचल दर्पण के 9 वे अंक का प्रकाशन किया गया ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

हिन्दी प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता देते हुए संगठन में कर्मचारियों का प्रशिक्षण लगभग पूर्ण कर लिया गया है । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है ।

<u>हिन्दी कार्यशालाएं</u>

संगठन के सभी कार्यालयो मे अधिक से अधिक कार्य हिन्दी मे करने के लिए प्रोत्साहन देते हुए चार कार्यशालाओं का अनिवार्य रूप से आयोजन किया गया । राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कर्मचारियों को कठिन हिन्दी के बजाय सरल एवं सहज हिन्दी का प्रयोग करने की सलाह दी गई ।

<u>हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम</u>

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढाने के लिए हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी मुख्यालय तथा संगठन के विभिन्न अंचल, उप-अंचल कार्यालय, विभागीय परीक्षण केन्द्र में हिन्दी दिवस के साथ-साथ हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाडा बडे ही हर्षोउल्लास से मनाया गया ।

पखवाडे के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताए आयोजित की गई, जैसे - हिन्दी टंकण, टिप्पण-आलेखन, निबंध, शब्द ज्ञान, चित्र पर आधारित कहानी, सुलेख, लोगो एवं पंचलाईन, अंताक्षरी तथा हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी । पखवाडे का मुख्य कार्यक्रम तथा हिन्दी दिवस 14 सितम्बर 2012 को मनाया गया । मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन एवं गृह मंत्रीजी का संदेश सभी को अनुपालनार्थ सुनाया गया । पखवाडे के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं मूल काम हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया ।

<u>उपलब्धियां -</u>

<u>मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर कार्यालय</u>

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ठ योगदान में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर द्वारा दिनांक 29**.06.2012** को 56 वी छमाही बैठक एवं नराकास पुरस्कार वितरण समारोह में वर्ष 2011-2012 के लिए कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए **तृतीय पुरस्कार तथा हिन्दी गृह पत्रिका विस्फोटक दर्पण अंक 11 हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया** । इस अवसर पर नराकास संपादक मंडल एवं कार्याकारी सदस्या के रूप में संगठन की हिन्दी अधिकारी श्रीमती वैशाली चिरडे को भी सम्मानित किया गया । मुख्यालय के श्री रजनीश पिपलानी, उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं श्रीमती वैशाली चिरडे, हिन्दी अधिकारी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया ।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा को विशेष पुरस्कार

पेसो में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन व प्रगामी प्रयोग की दिशा में कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा की एक अग्रणी भूमिका रही है ।

कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल,आगरा को वर्ष 2010-2011 के लिए उत्तर क्षेत्र– 2 (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड) में केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालयों में **प्रथम पुरस्कार** प्रदान किया गया तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आगरा की ओर से राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन में आगरा स्थित केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालयों में विशेष पुरस्कार प्रदान करते हुए हिन्दी पत्राचार एवं टिप्पण लेखन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया ।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उत्तरांचल, फरीदाबाद कार्यालय की विशेष उपलब्धि

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उत्तरी अंचल, फरीदाबाद कार्यालय को वर्ष 2011-12 के लिए संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए 'क' क्षेत्र (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा) में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया तथा राजभाषा अधिकारी डा० संजय कुमार सिंह, उप-विस्फोटक नियंत्रक को उनके सराहनीय योगदान के लिए व्यक्तिगत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया ।

कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर

नराकास, जयपुर की ओर से कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर को वर्ष 2012-13 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन के लिए ('ख'वर्ग) में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया ।

संगठन के विभिन्न कार्यालयों को प्राप्त हो रहे पुरस्कार इस बात का प्रमाण हैं कि पेसो में राजभाषा कार्य उंचाईयो की ओर अग्रसर हैं । संगठन अपने मूल उद्देश्य "सुरक्षा सर्वोपरि " के साथ साथ राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु सतत् प्रयत्नशील हैं ।

अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृत परिसरों का निरीक्षण

निरीक्षण अधिकारियों के (विभिन्न श्रेणियों के) अनेक पद रिक्त रहने के कारण हुए संसाधनो की कमी के बावजूद भी विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत संगठन द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृती प्राप्त खतरनाक परिसरों की निरीक्षण गतिविधियों पर बल देने के प्रयास किए गए।

विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत :

वर्ष के दौरान 17,331 परिसरों का (अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त 1,07,039 कुल परिसरों में से) निरीक्षण किया गया । यह कुल परिसरों में से 16.19% के निरीक्षण के समतुल्य है । उपरोक्त निर्दिष्ट इकाइयों में विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत 7,577 अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों का, गैस सिलिण्डर नियमों के अंतर्गत 5,355 अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का तथा एसएमपीवी (यू) नियमों के अंतर्गत 4,399 अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का निरीक्षण हुआ ।

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत

वर्ष के दौरान 4,963 अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों का निरीक्षण किया गया, जो कुल 1,65,930 अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों के 2.99% के समतुल्य है । उपरोक्त निरीक्षण में पेट्रोलियम नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त 4,949 परिसरों का, कैलशियम कार्बाइड नियमों के अंतर्गत 14 अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों का समावेश है।

वर्ष 2012-13 में इस संगठन द्वारा, विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त और स्वीकृति प्राप्त इकाइयों की कुल 2,72,969 इकाइयों में से, 22,294 (8.16%) परिसरों का निरीक्षण किया गया । विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों मे किए गए निरीक्षण की सांख्यिकीय जानकारी सारणी I में दी गई है तथा पिछले 5 वर्षों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के आंकडे सारणी II में दिए गए हैं ।

निरीक्षण के दौरान जहां भी अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तो में कमियों, अनियमितता या उल्लंघन पाएं गए ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारक को संशोधन/अनुपालन की दिशा में नोटिस देने की कार्रवाई की गई । उन नियमों के उल्लंघन के गंभीर मामलों में जहां सुरक्षा खतरे में हो, अनुज्ञप्तियों को निलम्बित कर दिया गया या नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रकार तथा अपराध की गंभीरता के आधार पर उन्हें रद्द कर दिया गया ।

सारणी -।

वर्ष 2012-2013 के दौरान किये गये निरीक्षणों का विवरण

(I) अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर

अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण						
अनु. क्र	**अधिनियम तथा नियम**	**01/04/12 को**	**वर्ष 2012-13 के दौरान दी गई अनुज्ञप्तियां**	**वर्ष 12-13 के दौरान रद्द की गई अनुज्ञप्तियां**	**योग 31.3.2013 तक**	**वर्ष 12-13 के दौरान किए गये निरीक्षण**
1.	अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012			शून्य		
2.	विस्फोटक नियम 2008	38033	4062	21	42074	7577
3.	गैस सिलेण्डर नियम, 2004	18764	20680	शून्य	39444	5355
4.	एसएमपीवी (यू) नियम, 1981	22452	3069	शून्य	25521	4399
5.	पेट्रोलियम नियम, 2002	144801	20573	128	165246	4949
6.	कैलशियम कार्बाइड नियम, 1987	669	15	शून्य	684	14
	योग	**224719**	**48399**	**149**	**272969**	**22294**

अनुज्ञप्तिप्राप्त तथा निरीक्षण किए गए परिसर दर्शाता ग्राफ वर्ष 2012-2013

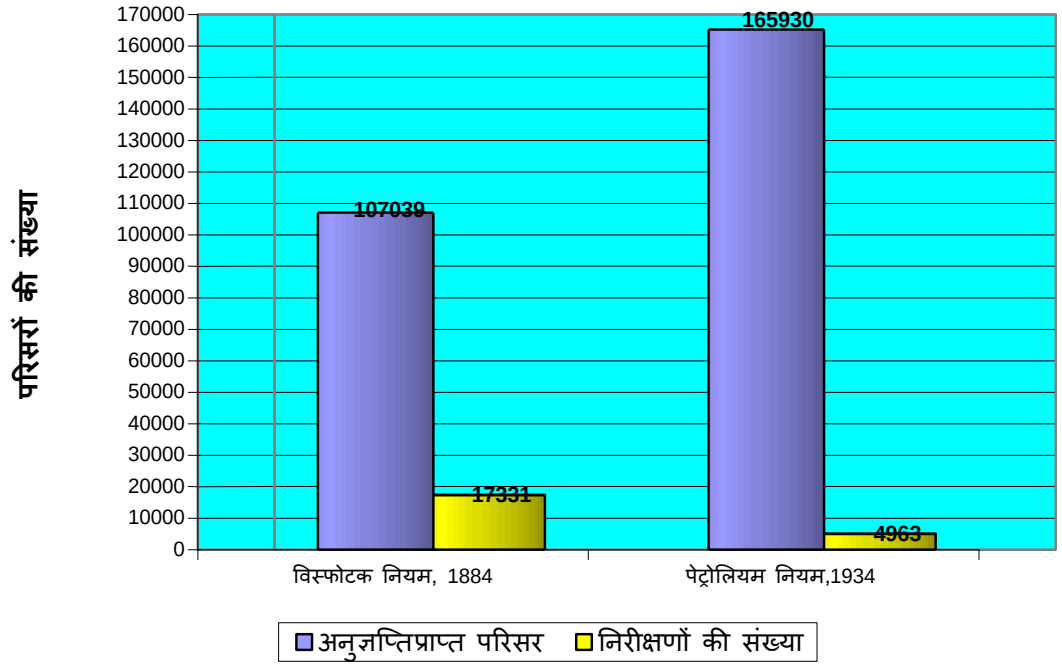

सारणी -II

पिछले 5 वर्षों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के आंकडे

विवरण	**वार्षिक संस्थापित अनुज्ञप्ति क्षमता (मीट्रिक टन)**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
वर्ग 1 गन पाउडर (मेट्रिक टन)	1595.55	908.10	827.5	688.6	710.6	577.7
वर्ग 2 1. कार्टिज 2. साईट मिक्स **(मेट्रिक टन)**	580386.5 1350385	254807.8 343018.5	225615.2 389825.7	183533.73 59943.5	238193 483828	267275 495946
वर्ग 3 प्रभाग – 2 बूस्टर और पीईटीएन* **(मेट्रिक टन)**	16418.67	3206	4449.3	3573.8	5063.1	5656.5
वर्ग 6 प्रभाग – 1 सेफ्टी फ्यूज (मिलियन मीटर)	268.29	132	123.1	77	81.1	77.1
वर्ग 6 प्रभाग – 2 डिटोनैटिंग फ्यूज (मिलियन मीटर)	576.2	334	390.6	284.6	370.6	634.2
वर्ग 6 प्रभाग – 3 डिटोनैटर (मिलियन संख्या)	974	610	697.5	724.2	970.7	992.2
वर्ग 6 प्रभाग – 3 माइक्रो कॉर्ड (मेट्रिक टन)	-	-	-	-	-	122.1

*पीईटीएन- पेंटा एर्थीटोल टेट्रा नाइट्रेट

दुर्घटनाओं की जाँच
दक्षिण अंचल, चेन्नई

विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:

विस्फोटक नियम, 2008:-

1. **दिनांक – 05/04/2012 - स्थान : कुकटपल्ली, जिला : हैदराबाद, आंध्र प्रदेश**
   मृत - कोई नही, घायल – 1
   डेटोनेटर विनिर्माण इकाई के गुणता नियंत्रण कक्ष में यह विस्फोट हुआ । ऑपरेटर द्वारा, स्वयं को सुरक्षा शील्ड से संरक्षित किए बिना, अस्वीकृत किए गए, मुडे हुए डेटोनेटर के लेड वायर्स काटते समय घटित दुर्घटना में ऑपरेटर घायल हो गया ।

2. **दिनांक–24/04/2012, स्थान:पी.अनइप्पलायम, ता:अरावाकुरीची, जिला:करूर, तमिलनाडु**
   मृत – कोई नही, घायल – 1
   45363 डेटोनेटर संग्रहीत एक एक्स्प्लोसिव्स मैगजीन में विस्फोट हुआ । बिजली गिरने से उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के कारण डेटोनेटर वायर्स में विद्युत प्रवाह दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है ।

3. **दिनांक- 05/06/2012, स्थान:पुलीयामाराथुपलयम, एम. उथुकुली, कोयंबटूर, तमिलनाडु**
   मृत – कोई नही, घायल – कोई नही
   सेफ्टी फ्यूज विनिर्माण इकाई के गनपाउडर मिक्सिंग बिल्डिंग में यह विस्फोट हुआ । मिक्सिंग ड्रम में गनपाउडर संरचना मिश्रित करने के दौरान घर्षण से उत्पन्न चिंगारी दुर्घटना का संभावित कारण है ।

4. **दिनांक - 10/05/2012 - स्थान : सिवाकासी जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु**
   मृत – 1, घायल – कोई नही
   आतिशबाजी इकाई में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । जांच से पता चला कि फ्लावर पॉट के टिपिंग संरचना का अपघटन दुर्घटना का संभावित कारण हैं ।

5. **दिनांक - 19/06/2012 - स्थान : सूदा, जि. उडूपी (कर्नाटक)**
   मृत – 2, घायल – कोई नही
   विस्फोटकों को चार्ज करने के लिए सुराख करने के पश्चात, ब्लास्टर द्वारा उन्हे चार्ज करने के लिए लाया गया । अचानक बारिश शुरू होने के कारण शॉट फायरकर्ता और सहायक ने

विस्फोटकों और बिजली डेटोनेटर्स को खदान के पास ईंटो से बने शेड में रख दिया । खदान में काम कर रही दो महिलाएं बारिश से बचने के लिए शेड के करीब आई । तभी अचानक शेड में विस्फोट हुआ जिसमें दोनों महिलाओं की मौत हो गई । यह माना जा रहा है कि बिजली के गिरने से यह दुर्घटना घटित हुई ।

6. **दिनांक - 23/07/2012 - स्थान : सिवाकासी जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु**
मृत – कोई नही, घायल – 1

आतिशबाजी इकाई में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना के सबसे संभावित कारण आंतरिक नमी की मौजूदगी की वजह से लाल छर्रों के अपघटन और अनकोटेड मैग्नीशियम पाउडर जिसे श्रमिको द्वारा लापरवाही से एकत्रित किया गया जिसके परिणामस्वरूप आग लग गई ।

7. **दिनांक - 28/07/2012 - स्थान : सिवाकासी जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु**
मृत – 3, घायल – 4

आतिशबाजी इकाई में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । कारखाना परिसर से दूर जलते गड्ढे में निपटान हेतु अपशिष्ट आतिशबाजी सामग्री युक्त आतिशबाजी बक्से को ले जाया जा रहा था । उस दौरान उनके गिरने के कारण आग और विस्फोट हुआ ।

8. **दिनांक - 10/08/2012 - स्थान : सिवाकासी जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु**
मृत – 1, घायल – कोई नही

आतिशबाजी इकाई में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । फ्लावर पॉट संरचना का अपघटन दुर्घटना का संभावित कारण था ।

9. **दिनांक - 13/08/2012 - स्थान : सिवाकासी जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु**
मृत –1, घायल – कोई नही

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । आधे सूखे रंगीन छर्रों का अपघटन दुर्घटना का संभावित कारण था ।

10. **दिनांक - 05/09/2012 - स्थान : सिवाकासी जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु**
मृत - 40, घायल – 55

आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में एक विनाशकारी अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । जांच से पता चला कि एक अनुभवहीन कर्मचारी द्वारा हवाई आतिशबाजी आइटम के शेल में विस्फोटक संरचना ठूंस कर भरते समय प्रभाव और घर्षण या उष्मा से चिंगारी उत्पन्न हुइ जिससे आग लग गई और बाद में विस्फोट हुआ । वर्किंग शेड के बाहर अनियत रूप में आतिशबाजी का

सुखाना तथा ढेर लगाना कारखाने तथा ट्रांज़िट शेड में आग फैलाने में सहायक रहा जिससे विस्फोट हो गया । शेड में अतिरिक्त मात्रा में छर्रे रखने के कारण इतना भीषण विस्फोट हुआ जिससे आसपास के लोगों की मौत हो गई ।

11. **दिनांक - 29/11/2012 - स्थान पेड्डाकांडूकूर, जिला - नालगोंडा, आंध्र प्रदेश**
मृत – 2, घायल – 3
डेटोनेटर विनिर्माण संयंत्र के एलए एंड एलएस विनिर्माण प्रक्रिया इमारत में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ । लेड स्टायफनेट कंटेनर का वजन करते समय अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई ।

12. **दिनांक - 11/01/2013 - स्थान : ग्राम- सिवाकासी जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु**
मृत - 3, घायल – 3
आतिशबाजी इकाई में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । चक्र-ट्यूब के टीपिंग संरचना के स्व-अपघटन के कारण दुर्घटना घटित हुई ।

13. **दिनांक - 22/01/2013 - स्थान : सिवाकासी जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु**
मृत – 1, घायल – कोई नही
आतिशबाजी इकाई में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । संवेदनशील फ्लावर पॉट टीपिंग संरचना का स्व-अपघटन दुर्घटना का संभावित कारण था।

14. **दिनांक - 31/01/2013 - स्थान : सिवाकासी जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु**
मृत – 1, घायल – 1
आतिशबाजी इकाई में एक अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । फर्श पर गन पाउडर से भरे एल्यूमीनियम बेसिन के गिरने से हुए घर्षण से उत्पन्न चिंगारी, दुर्घटना का संभावित कारण था ।

15. **दिनांक - 29/02/2013 - स्थान : पेड्डाकंडूकूर, जिला - नालगोंडा, आंध्र प्रदेश**
मृत – कोई नही, घायल – 2
निरीक्षण के लिए प्रोसेस बिल्डिंग में एनएचएन ठीक से न धोकर असामान्य ताप के कारणों का पता लगाने के लिए लाया गया तभी विस्फोट हुआ । अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होने के कारण (सीमा से अधिक) एनएचएन का विस्फोट हुआ ।

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक - 17/05/2012 - स्थान : केधीला, जिला – दक्षिण कन्नड**
मृत – 1, घायल – कोई नही

एलपीजी रोड टैंकर एचपीसीएल बॉटलिंग प्लांट, बंगलौर में अनलोड किया गया और उसी दिन मंगलौर के लिए रवाना हुआ । जब खाली टैंकर, राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (बंगलौर – मंगलौर) पर संकीर्ण अमाई पुल में प्रवेश करने वाला था, चालक ने वाहन का नियंत्रण खो दिया और वाहन पुल के बाईं ओर की दिवार से टकराया । टैंकर का फ्यूल टैंक दिवार से टकराने के कारण ईंधन टैंक का रिसाव शुरू हो गया । टकराव के प्रभाव ने, टैंकर को विपरीत दिशा में मोड दिया और वह पुल की दाई दिवार को तोडते हुए लगभग 20 फीट गहरी नहर में गिर गया ।

2. **दिनांक - 23/07/2012 - स्थान : हनुमानपुर ग्राम, जिला – टुमकुर**
मृत – 1, घायल – 1

मेसर्स टाटा ऑइल इंडिया लि. मंगलौर, कर्नाटक में, एलपीजी रोड टैंकर पंजीकरण नंबर केए-21/ए-2356 में एलपीजी लोड किया गया और उसी दिन नमक्कल के लिए रवाना हुआ । जब एलपीजी से लदा उक्त रोड टैंकर बंगलौर से करीब 80 कि.मी. दूर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर कुनीगल के पास हनुमानपुर- शेट्टीगेहाली बायपास पहुंचा वहां बाएं ओर पार्क की गई एक दूध की वैन से टकराया । टकराव के प्रभाव से दूध की वैन विपरीत दिशा में मुड गई और टैंकर वैन की तरफ झुक गया । टकराने के कारण दूध की वैन के ईंधन टैंक का रिसाव शुरू हुआ और दोनों वाहनों के केबिन आग के चपेट में आ गए ।

3. **दिनांक - 11/02/2013 - स्थान : मुलबगलु ग्राम, जिला – कोलार**
मृत – 3, घायल – 1

17 मीट्रिक टन लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा मोबाइल टैंकर जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर था उसी समय उसका मैनहोल कवर दूर फेंका गया जिससे भारी मात्रा में लिक्विड कार्बन डायऑक्साइड का रिसाव हुआ । चूंकि वाहन लगातार चल रहा था वेसल में दबाव बढता गया और आइसोलेशन वाल्व बंद होने के कारण विकसित दबाव बाहर निकल नही पाया जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई । ।

<u>जिला मजिस्ट्रेट परिसर के अंतर्गत:</u>

1. **दिनांक – 02/04/2012- स्थान : तडीपर्रू ग्राम, जिला – पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश**
मृत – 7, घायल – 2

जिलाधिकारी, पश्चिम गोदावरी द्वारा अनुज्ञप्त आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में आतिशबाजी में सफेद पाउडर भरते समय विस्फोट हुआ । पाउडर भरने के दौरान उत्पन्न प्रभाव दुर्घटना का कारण माना जा रहा है ।

<u>दुर्घटना की जाँच</u>

पश्चिम अंचल, मुंबई

<u>विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:</u>

<u>विस्फोटक नियम, 2008:-</u>

1. **दिनांक - 10/04/2012 - स्थान : हरीओम नगर जिला : सूरत**
   मृत - 1, घायल – 4
   अतिशबाजी की दूकान के सामने की ओर गुजरनेवाली ओवरहेड बिजली लाइन के कटने के कारण यह अग्नि दुर्घटना घटित हुई । दीवार और रोलिंग शटर टॉप बॉक्स के बीच मौजूद ख़ाली जगह से चिंगारी दुकान में प्रविष्ट हुई ।

2. **दिनांक - 23/05/2012 - स्थान : तलेगांव (रघुजी), जिला - वर्धा**
   मृत – 2, घायल – 06
   डेटोनेटिंग फ्यूज विनिर्माण इकाई के स्पिनिंग बिल्डिंग में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ जहां डीएफ स्पिनिंग आपरेशन चल रहा था । स्थिर प्रभार के संचय के कारण पीईटीएन का डेटोनेशन दुर्घटना का संभावित कारण था ।

3. **दिनांक - 11/06/2012 - स्थान : हिंगनी, जिला - वर्धा**
   मृत – कोई नही, घायल – कोई नही
   विस्फोटक विनिर्माण इकाई की एक विरान प्रोसेस बिल्डिंग में एमएस बैरल में संग्रहीत पुराने बीएसएनसी के स्व-अपघटन के कारण दुर्घटना घटित हुई ।

4. **दिनांक – 19/02/2013 - स्थान : तलेगांव (एसपी), जिला - वर्धा**
   मृत – कोई नही, घायल – कोई नही
   डेटोनेटर विनिर्माण इकाई की एएसए सुखाने की इमारत में एक विस्फोट की दुर्घटना घटित हुई । सूखे एएसए संरचना के विस्फोट की वजह, बाहरी सामग्री या कणों के बीच घर्षण माना जा रहा है । पास ही दो ट्रे पर रखे सूखे एएसए मिश्रण का भी विस्फोट हुआ । घर्षण ही विस्फोट का कारण प्रतीत होता है ।

5. **दिनांक – 05/03/2013 - स्थान : तरवडे गांव, जलगांव, जिला - जलगांव**
   मृत – 02 घायल – कोई नही
   आतिशबाजी विनिर्माण इकाई के संघटक शेड में एक विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । विस्फोट उस समय हुआ जब सिंथेटिक कपड़े पहने हुए एक महिला द्वारा इन्ग्रीडीअन्ट शेड में एक प्लास्टिक की बाल्टी में पाउडर कॉम्पोजिशन मिलाया जा रहा था । सिंथेटिक कपड़े से स्टैटिक चार्ज के निर्वहन दुर्घटना का संभावित कारण था ।

6. **दिनांक – 24/03/2013 - स्थान : नागपुर**
   मृत – 02, घायल – 02

डेटोनेटर विनिर्माण इकाई के डेटोनेटर क्रिंपिंग और पैकिंग इमारत के शेल्स से भरे स्टोर रूम में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ । क्रिंपिंग ऑपरेटरों को भरे शेल्स का वितरण करने से पहले, निरीक्षण के दौरान, भरे शेल्स के लापरवाह हैंडलिंग के कारण विस्फोट हुआ ।

गैस सिलेंडर नियम, 2004:-

1. **दिनांक - 16/11/2012 - स्थान : वडवाल, जिला - रायगड**
   मृत - कोई नही, घायल – 21
   एसिटिलीन जनरेशन तथा सिलेंडर फिलिंग यूनिट में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । शुरू में उच्च दबाव पर एसिटिलीन गैस का भारी मात्रा में रिसाव होकर उसमें आग लग गई । आग के फैलने से वहां रखे कई सिलेंडर क्षतिग्रस्त हो गए । लंबे समय तक आग के गर्मी से एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया जिससे फिलिंग शेड की छत क्षतिग्रस्त हो गई । एसिटिलीन सिलेंडरों के भरने के लिए इस्तेमाल किए गए पिगटेल्स की खराब गुणता, दुर्घटना का संभावित कारण है ।

2. **दिनांक - 16/11/2012 - स्थान : गोरेगांव (पूर्व), जिला - मुंबई**
   मृत - 1, घायल – 3
   ट्रक चेसिस पर फिट किए सीएनजी सिलेंडरों की भराई के दौरान एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया । खराब घिसे हुए सिलेंडर जिनका आवधिक हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण नहीं किया गया था, दुर्घटना का कारण प्रतित होता है ।

3. **दिनांक - 08/12/2012 - स्थान : धानज, ता: कांजा, धानज, जिला - वाशिम**
   मृत - 1, घायल – कोई नही
   एलपीजी टैंक ट्रक के क्लीनर द्वारा वाल्व बॉक्स के नीचे रखे गए टूल्स और टैकल्स एकत्रित करते समय यह दुर्घटना घटित हुई । जब क्लीनर टूल्स एकत्रित कर रहा था तभी ड्राइवर ने क्लीनर की स्थिति जाने बगैर वाहन शुरू कर दिया । वाहन शुरु होने की आवाज से क्लीनर डर गया और उसने वाल्व बॉक्स और रियर व्हील के पास की जगह से बाहर निकलने की कोशीश की । ऐसा करते समय, वह किसी तरह नीचे गिरा । इस दौरान वह घायल हुआ और बाद में उसने दम तोड दिया । चालक और क्लीनर के बीच ठीक से संप्रेषण ना होना दुर्घटना का कारण प्रतीत होता है ।

4. **दिनांक - 02/03/2013 - स्थान : वावकाटे, बुद्रूक, इंदापुर, पुणे**
   मृत - 1, घायल – 2
   18 मीट्रिक टन प्रोपलीन ले जा रहा एक प्रोपलीन रोड टैंकर पुणे की ओर जा रहा था तभी तेज गती से आ रही एक कार उससे टकराई और इनलेट और आउटलेट के डिस्चार्ज फासेट के आवरण से टकराने से एक्सेस फ्लो वाल्व फट गया और प्रोपलीन का भारी मात्रा में रिसाव हुआ । ज्वलनशील मिश्रण के संचय से वाष्प बादल विस्फोट हुआ ।

5. **दिनांक - 04/05/2013 - स्थान : मनखुर्द, गोवंदी, जिला: मुंबई**
मृत - 1, घायल – 16

बीपीसीएल रिफाइनरी, चेंबूर, मुंबई से 18 मीट्रिक टन, एलपीजी ले जा रहे एक एलपीजी टैंकर की मानखुर्द, मुंबई में दुर्घटना घटी । दुर्घटना के कारण टैंकर चेसिस से अलग हो गया और एक गहरे खाई में जा गिरा । ट्रक का डिस्चार्ज फासेट फट गया और एक्सेस फ्लो वाल्व से का भारी मात्रा में एलपीजी का रिसाव हुआ जिसके कारण वाष्प बादल विस्फोट हुआ ।

<u>पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अंतर्गत:</u>

पेट्रोलियम नियम 2002:-

1. **दिनांक : 02/05/2012 - स्थान : कांडला बदंरगाह, जिला - कच्छ**
मृत – कोई नही, घायल – कोई नही

यह अग्नि/विस्फोट दुर्घटना 12" व्यास के क्रॉस कंट्री पेट्रोलियम पाइपलाइन के 3.1 मीटर लंबे हिस्से में घटित हुई । संपीड़ित हवा द्वारा पाइपलाइन के पिगिंग के तुरंत बाद विस्फोट हुआ । बेंजीन और हवा के मिश्रण की मौजूदगी, जिसका संभवत: स्थिर प्रभार के संचय से उत्पन्न चिंगारी के कारण प्रज्वलन विस्फोट का कारण हो सकता है ।

2. **दिनांक : 18/10/2012 - स्थान : जालना रोड, पुराने मौंढे के पास**
मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

एक रिटेल आउटलेट में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । पहले एमएस एवं एचएसडी नमूने के भंडारण के लिए प्रयोग किए जा रहे सेल्स रूम में आग भडकी । बाद में आग ने पेट्रोलियम टैंक ट्रक और डिस्पेन्सिंग यूनिट को अपने चपेट में ले लिया । इलेक्ट्रिकल शार्ट सर्किटिंग दुर्घटना का संभावित कारण है ।

3. **दिनांक : 26/11/2012 - स्थान : आईओसीएल छांता पेट्रोल पंप, अकोला**
मृत - 1, घायल – 2

भूमिगत पेट्रोलियम भंडारण टैंक में हॉट वर्क किए जाने के दौरान एक रिटेल आउटलेट में विनाशकारी विस्फोट हुआ । भंडारण टैंक के अनुचित सफाई तथा हॉट वर्क करने से पहले इस ठीक से गैस फ्री नही करने के कारण दुर्घटना घटित हुई ।

4. **दिनांक : 04/12/2012 - स्थान : रूदाताल गांव, जिला : अहमदाबाद**
मृत - 3, घायल – कोई नही

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन डिवीजन, डब्लूआरपीएल, विरामगाम के दबसार स्क्रैपर (पिग) रिसिविंग स्टेशन में अग्नि दुर्घटना घटित हुई । 200 मीटर दायरे मे फैली,

24" भूमिगत क्रॉस कंट्री पेट्रोलियम पाइपलाइन से वेल्डेड फोर्ज फ्लैज पाइप की खराब सामग्री के कारण कच्चे तेल का रिसाव हुआ जिसके कारण अग्नि दुर्घटना घटित हुई ।

5. **दिनांक : 05/01/2013 - स्थान : हजिरा, जिला : सूरत**
मृत - 3, घायल – कोई नही

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के पेट्रोलियम अधिष्ठापन में डबल डेक फ्लोटिंग रूफ स्टोरेज टैंक से जुड़ी आग की एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना उस समय घटित हुई जब ठेकेदार के कर्मचारी एमएस टैंक की डबल डेक फ्लोटिंग छत में खामी देख रहे थे । चिंगारी उत्पन्न होने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों में आग लग गई । दुर्घटना के परिणामस्वरूप फ्लोटिंग रूफ टैंक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और करीब 5000 किलो लीटर पेट्रोलियम उत्पादों का नुकसान हुआ ।

6. **दिनांक : 19/02/2013 - स्थान : बिलपाड गांव, जिला : आनंद**
मृत - 1, घायल – कोई नही

मेसर्स रिलायंस पोर्ट एंड टर्मिनल लिमिटेड की एक पेट्रोलियम रोड टैंकर में अग्नि दुर्घटना घटित हुई । सामने का टायर फटने के कारण पेट्रोलियम रोड टैंकर पलट गया । दुर्घटना में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और लगभग 15.5 किलो लीटर पेट्रोलियम उत्पाद दुर्घटना में जल गया ।

मध्यांचल, आगरा

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 06/05/2012 - स्थान : कानपुर लखनऊ राजमार्ग , जिला उन्नाव , उत्तर प्रदेश**
मृत - 2, घायल – कोई नही

आईओसी बॉटलिंग प्लांट, जिला अमौसी, लखनऊ जा रहा एक एलपीजी टैंक ट्रक मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया । एलपीजी लिक्वीड और वेपर इनलेट आउटलेट वाल्व कटने के कारण एलपीजी का भारी मात्रा के रिसाव होना दुर्घटना का संभावित कारण है ।

2. **दिनांक : 11/11/2012 - स्थान : जानेतपुर , जिला औरैया , उत्तर प्रदेश**
मृत - कोई नही, घायल - कोई नही

एलपीजी टैंक ट्रक से अवैध रूप से सिलेंडरों को भरने के समय अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई । यह माना जा रहा है कि किसी अज्ञात स्रोत से उत्पन्न चिंगारी के कारण एलपीजी सिलेंडरों में आग और विस्फोट हुए होगे ।

<u>पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत :-</u>

1. **दिनांक : 03/07/2012 - स्थान : चुनार , जिला: मिर्जापुर , उत्तर प्रदेश**

मृत - कोई नही, घायल – 1

मेसर्स बीपीसीएल के रिटेल आउटलेट में टैंक ट्रक से एचएसडी अनलोड करने के दौरान आग लग गई । एचएसडी अनलोड करने के दौरान पेट्रोलियम टैंक ट्रक को ठीक तरह से अर्थिंग नही किया गया था । स्थिर प्रभार के संचय के कारण चिंगारी उत्पन्न होना, प्रज्वलन का कारण हो सकता है ।

2. **दिनांक : 10/10/2012 - स्थान : भोपाल, जिला: भोपाल, मध्य प्रदेश**
   मृत - कोई नही, घायल – कोई नही
   मेसर्स एचपीसीएल के रिटेल आउटलेट में टैंक ट्रक से एचएसडी अनलोड करने के दौरान ड्राइवर के केबिन में आग लग गई । डीकैटिंग से पहले पेट्रोलियम के नमूने लेने के दौरान सफाई के लिए इस्तेमाल किए गए पेट्रोलियम में भिगे कपडे ड्राइवर के केबिन में, क्लीनर की सीट के नीचे हेवी ड्यूटी बैटरी के कट आफ स्विच के पास रखे थे । शॉर्ट सर्किटिंग के कारण आग लग गई ।

3. **दिनांक : 15/01/2013 - स्थान : मक्सी, जिला: शाजापुर, मध्य प्रदेश**
   मृत – 1, घायल – कोई नही
   मेसर्स बीपीसीएल के रिटेल आउटलेट में टैंक ट्रक से एमएस अनलोड करने के दौरान आग लग गई । अनलोड करने के दौरान टैंकर पास मौजूद पेट्रोलियम वेपर प्रज्वलित हो गई । स्थिर प्रभार के संचय के कारण चिंगारी उत्पन्न होना, प्रज्वलन का कारण हो सकता है ।

<u>जिला मजिस्ट्रेट परिसर के अंतर्गत:</u>

1. **दिनांक : 24/04/2012 - स्थान : शाहजहांपुर, जिला: शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश**
   मृत – 6, घायल – 3
   जिला प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्त, भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित एक आतिशबाजी की दुकान में एक विस्फोट हुआ । दुकान में खुले गन पाउडर का प्रज्वलन दुर्घटना का कारण माना जा रहा है ।

2. **दिनांक : 12/09/2012 - स्थान : हिम्मतपुर बिधुना, जिला: औरैया, उत्तर प्रदेश**
   मृत – 9, घायल – 7
   एक आवासीय परिसर में, जहां अवैध रूप से आतिशबाजी का विनिर्माण किया जा रहा था, आतिशबाजी विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक संरचना के स्व-प्रज्वलन के कारण अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटित हुई ।

उत्तरी अंचल, फरीदाबाद

<u>विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:</u>

विस्फोटक नियम, 2008 :-

1. **दिनांक : 25/05/2012 - स्थान : गांव मोहना, जिला : फरीदाबाद**
   मृत – कोई नही, घायल – 02
   डेटोनेटर विनिर्माण इकाई की वाशिंग एरिया में अग्नि दुर्घटना घटित हुई । डिपिंग संरचना में प्रज्वलन के कारण क्लीनिंग टेबल के आसपास मौजूद एसीटोन वाष्प में आग लग गई ।

गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 20/10/2012 - स्थान : गाजीपुर, नई दिल्ली**
   मृत – कोई नही , घायल – 05
   यह दुर्घटना मेसर्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के सीएनजी फिलिंग स्टेशन में घटित हुई । मेसर्स आईजीएल, गाजीपुर के सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर एक मारुति वैन सीएनजी भरने के लिए आई । वैन में लगभग 5 किलो सीएनजी भरा गया था कि अचानक वैन में फिट सिलेंडर में विस्फोट हुआ । सिलेंडर में या तो उसके विनिर्माण के दौरान या फिर विनिर्माण में प्रयुक्त ट्यूब में पहले से ही दोष मौजूद होगा जिससे सीएनजी सिलेंडर के विस्फोट हुआ होगा ।

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 28/05/2012 - स्थान : सीतापुर, जयपुर**
   मृत – 01, घायल – 01
   मेसर्स आईओसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में लोडिंग ऑपरेशन पूर्ण होने के बाद टैंक ट्रक से लोडिंग आर्म डिटैच करने के दौरान टैंक ट्रक लोडिंग गैन्ट्री में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । लोडिंग आर्म के डी-कपलिंग के समय लीक हुए एलपीजी वाष्पकण शायद किसी बाहरी स्रोत से या स्थिर प्रभार के संचय के कारण उत्पन्न चिंगारी से प्रज्वलित हुए होगे ।

<u>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत :-</u>

पेट्रोलियम नियम 2002:-

1. **दिनांक : 08/12/2012 - स्थान : रामनगर, पंचकुला, हरियाणा**
   मृत - कोई नही, घायल – 01
   टैंक ट्रक के एक कंपार्टमेंट के बॉटम गैसकेट से हुए एमएस के रिसाव से लगी आग ने पेट्रोलियम टैंक ट्रक को अपने चपेट में ले लिया । टैंक ट्रक के पास पडे जलते कोयले के कारण एमएस वाष्प और हवा के मिश्रण का प्रज्वलन हुआ ।

2. **दिनांक : 19/04/2012 - स्थान : नोखा, जिला – बीकानेर**
   मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

मेसर्स बीपीसीएल के रिटेल आउटलेट में टैंक ट्रक से एमएस अनलोड करने के दौरान आग लग गई । जैसे ही टैंकर चालक ने डिस्चार्ज फॉसिट पर आग देखी, उसने वाहन को रिटेल आउटलेट के बाहर निकालने की कोशिश की । ऐसा करते समय, अनलोडिंग होज कपलिंग डिस्चार्ज फॉसिट से डिटैच हो गया और रिटेल आउटलेट में एमएस फैल गया । टैंकर चेसीस में अर्थिंग नही था, अनलोडिंग होज और डिस्चार्ज फॉसिट के कनेक्शन पर हुए एमएस वाष्प और हवा के मिश्रण के रिसाव का स्थिर प्रभार के संचय से प्रज्वलन हुआ ।

<u>अनअनुज्ञप्त परिसर</u> :-

1. **दिनांक : 11/09/2012 - स्थान : खन्ना, जिला लुधियाना**
   मृत – 10, घायल – 08
   सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में एक अग्नि दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना का कारण ऑईल एक्स्ट्रेक्टर से हेक्सेन के रिसाव है जिससे एक्स्ट्रेक्टशन प्लांट परिसर में हेक्सेन वाष्प के बादल बन गए । जैसे ही ट्रक ने कारखाने के परिसर में प्रवेश किया, ट्रक के इंजन के एक्सहौस्ट पाइप के खुले सिरे में चिंगारी के कारण हेक्सेन वाष्पकण प्रज्वलित हो गए ।

पूर्वांचल, कोलकाता

<u>विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत:</u>

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 19/01/2012 - स्थान : हावडा**
   मृत – 01, घायल –02
   एलपीजी टैंकर एक ट्रक से टकराकर 20 मीटर में गहरी खाई गिर गया ।

<u>पेट्रोलियम अधिनियम 1934</u>

पेट्रोलियम नियम 2002 के अंतर्गत :-

1. **दिनांक : 07/05/2012 - स्थान: रांची**
   मृत - कोई नही, घायल – कोई नही

भूमिगत टैंक में पेट्रोलियम टैंक ट्रक से एमएस डिकैटिंग के दौरान, पेट्रोलियम टैंक ट्रक के डिस्चार्ज फॉसिट के पास आग लग गई और पेट्रोलियम टैंक ट्रक आग की चपेट में आ गया । स्थिर प्रभार के संचय के कारण चिंगारी उत्पन्न होना, एमएस-हवा मिश्रण के प्रज्वलन का कारण हो सकता है ।

परिशिष्ट-1

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढाँचा

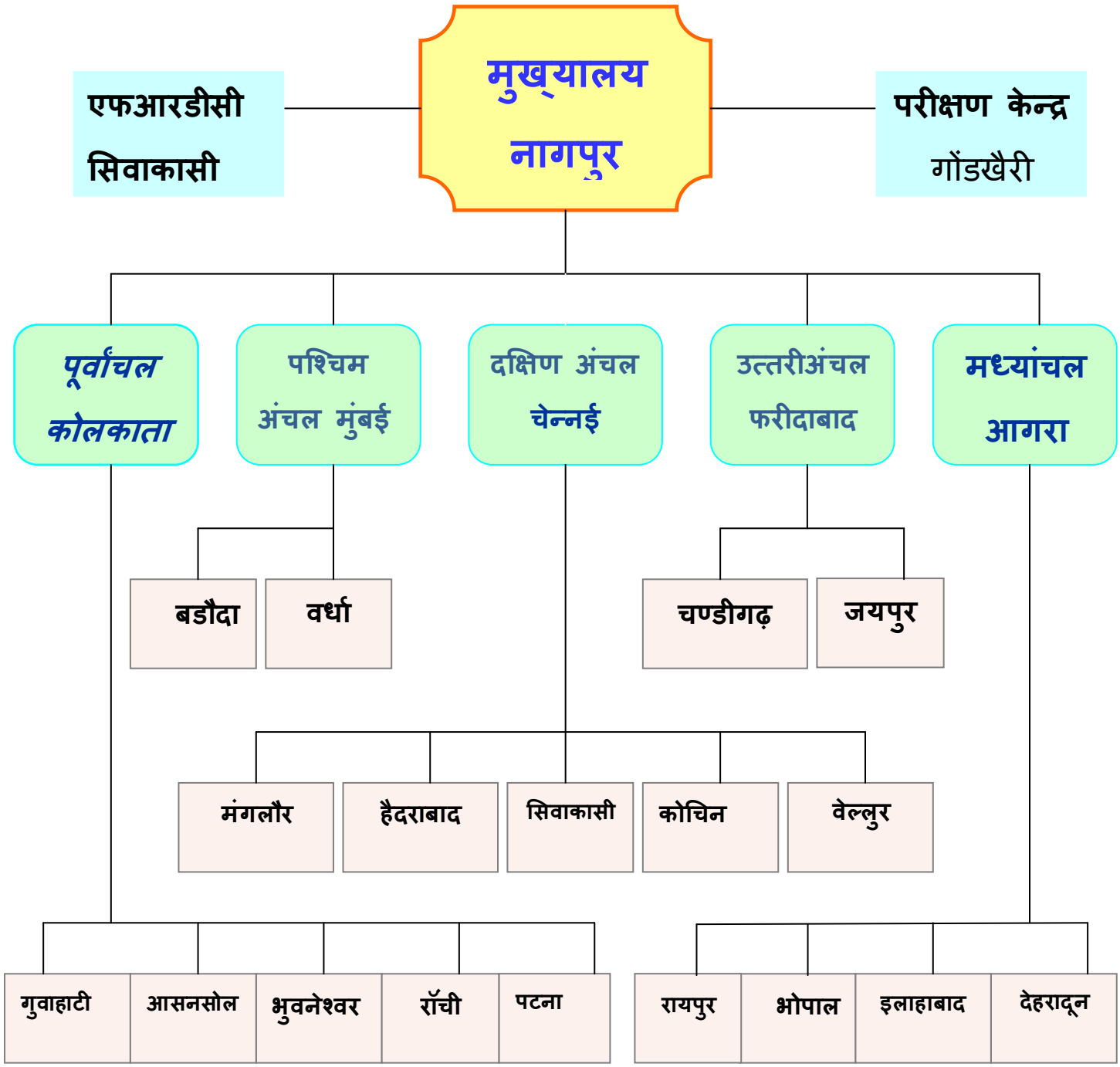

परिशिष्ट - 2

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अंचल तथा उप-अंचल कार्यालयों के क्षेत्राधिकार

संख्या	अंचल तथा उपअंचल कार्यालय के नाम	पता	क्षेत्राधिकार	टेलिफोन और फॅक्स नं.
क.	मुख्यालय	ई मेल :- explosives@explosives.gov.in	वेबसाईट :- http://peso.gov.in	
01	नागपुर	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, पॉचवा तल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006	समस्त भारत	एस.टी.डी कोड :0712 दुरभाष : 2510103 2510580, 2510459 2510389, 2510579 2512006,2510072, 2512091,2510139, 2512093,2512094, 2511512, 2512257 इपीएबीएक्स:2510248 फैक्स : 2510577 तार :Explosives
ख.	पश्चिम अंचल	ई मेल :- jtccemumbai@explosives.gov.in		
01	मुम्बई	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ए-1 ओर ए-2विंग केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, पॉचवा तल, सी.बी.डी.बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (महा.)	गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा दमन और दिव, दादरा और नगर हवेली	एस.टी.डीकोड : (022) दुरभाष :27564941 27573881 इपीएबीएक्स:27575946 फैक्स :27575967 तार :INSWEST
उपअंचल कार्यालय				
02	बडौदा	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 8वा तल, यशकमल बिल्डिंग, सयाजीगंज, बडौदा-390020	गुजरात	एस.टी.डी कोडः (0265) दुरभाष : 2361035, 2225159 फैक्स : 2225952 तार : Explosives
उपअंचल कार्यालय				
03	वर्धा	विस्फोटक नियंत्रक, गिताईनगर, धुनिवाले मठ के सामने नागपूर रोड, गोपुरी, वर्धा-442001	महाराष्ट्र के वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, अकोला, अमरावती, नांदेड, परभनी, बुलढाना जिले	एस.टी.डी कोडः(07152) दुरभाष : 245006, फैक्स : 230370

ग.	पूर्वांचल, कोलकाता	ई मेल :- jtccekolkata@explosives.gov.in		
01	कोलकाता	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पुर्वांचल, 8-एस्प्लेनेड पूर्व, पहली मंजिल, कोलकता-700 069 (प.बं.)	पश्चिम बंगाल, बिहार, उडिसा, असम, मनीपुर, त्रिपुरा, अरूणांचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह	एस.टी.डी कोड : (033) दुरभाष : 22480427, 22486600, 22489524, 22420686 फैक्स : 22439322 तार : INSEAST
	उपअंचल कार्यालय			
02	आसनसोल	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 93 शशिभुषण गोराई रोड, पो.ऑ. आसनसोल, जिला बर्दवान-713301 (प.बं.)	बर्दवान के जिले, बांकुरा, पुरूलिया, (पश्चिम बंगाल), और धनबाद (झारखंड)	एस.टी.डी कोड: (0341) दुरभाष : 2283967 फैक्स : 2283834 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
03	गुवाहाटी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जी.एन.बी. रोड भवन मैसन के पास, चौथी मंजिल, पंचवटी, सीलपुखारी, गुवाहाटी-781003 (असम)	असम, मनिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम	एस.टी.डी कोड: (0361) दुरभाष : 2662783 फैक्स : 2662503 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
04	रांची	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री मोहन बिल्डिंग, सीता कंपाउंड, 5, मेन रोड, सुशीला ऑटोमोबाइल्स, रांची 834001 (झारखंड)	झारखंड	एस.टी.डी कोड : (0651) दुरभाष :2332689, 2332690 फैक्स : 2332688 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
05	भुवनेश्वर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, एफ-35/ए, बीजेबी नगर, भुवनेश्वर-751014 जिला खुर्दा, ओडीशा	उडीसा	एस.टी.डी कोड: (0674) दुरभाष : 2433370, 2433390 फैक्स : 2430656 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
06	पटना	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पहली मंजिल,	बिहार	एस.टी.डी कोड : (0612)

		महावीर कॉम्प्लेक्स, आदर्श कालोनी, रोड नं. 2, खेमनीचौक, पो.ऑ. न्यू जनानपुरा, पटना 800027		दुरभाष : 2390914 फैक्स : 2390913
घ.	दक्षिण अंचल, चेन्नई	ई मेल :- jtccechennai@explosives.gov.in		
01	चेन्नई	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नं. 140, रूक्मणि लक्ष्मीपती रोड, मार्शल्स रोड, एगमोर, चेन्नई - 600 008 (तमिलनाडू)	तामिलनाडू, कर्नाटक, केरल, आंधप्रदेश, पाण्डिचेरी और लक्षद्वीप	एस.टी.डी कोड : (044) दुरभाष : 28515464, 28419529, 28429945-47, 28515464 फैक्स : 28514848 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
02	एर्नाकुलम	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सी-2, 3 रा माला, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सीएसईझेड के सामने, काक्कानाड, एरनाकुलम, कोची-682037 (केरल)	केरल,पाण्डिचेरी संघशासित क्षेत्र के अंतर्गत माहे	एस.टी.डी कोड : (0484) दुरभाष :, 2427286 फैक्स : 2427276 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
03	मंगलौर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दूसरी मंजिल, सिटी सेंटर, हॉटेल रूपा के सामने, बलमाता रोड, मंगलौर-575001 (कर्नाटक)	कर्नाटक	एस.टी.डी कोड: (0824) दुरभाष : 2420167, 2441588 फैक्स : 2423937 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
04	सिवाकासी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, एफआरडीसी, एफएसआय अस्पताल के पिछे, सिवाकासी पश्चिम, सिवाकासी 626124 (तमिलनाडू)	तमिलनाडू के रामनाथपुरम, मदुराई, तिरूनेलवेली, तंजावूर, थेनी, कन्याकुमारी, विरूदुनगर, टुटीकोरीन, डिन्डीगुल, मदुराई, डिन्डीगुल अंन्ना और नागापट्टीनम जिले	एस.टी.डी कोड : (04562) दुरभाष : 254353 फैक्स : 255233 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
05	वेल्लूर	विस्फोटक नियंत्रक, डी-57,	तमिलनाडु के वेल्लूर	एस.टी.डी कोड :

		पहली मंजिल काटपाडी रोड, गांधीनगर, वेल्लूर-632006 (तमिलनाडू)	धरमपुरी, तीरूवंनामलम, सालेम, ब्रोडे और कोईबंतुर जिले	(0416) दुरभाष : 2241642 फैक्स : 2242513
	उपअंचल कार्यालय			
06	हैद्राबाद	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, केंद्रीय सदन, पहली मंजिल, सुलतान बाजार, कोटी, हैद्राबाद-500195, (आंध्रप्रदेश)	आंध्रप्रदेश, संघशासित क्षेत्र पांडीचेरी के अंतर्गत येनम	एस.टी.डी कोड : (040) दुरभाष : 24600359 24617863 फैक्स : 24617803 तार : Explosives
ङ.	मध्यांचल	ई मेल :- jtcceagra@explosives.gov.in		
01	आगरा	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 63/4, ए-विंग, दुसरी मंजील, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, संजय पॅलेस, आगरा-282 002 (उ.प्र.)	उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल और छत्तीसगंढ	एस.टी.डी कोडः (0562) दुरभाष : 2521322, 2523244, 2523266 फैक्स : 2527436 तार : Explosives
	उप अचंल कार्यालय			
02	इलाहाबाद	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सेक्टर-1, भवन नं. 66, लाजपत राय रोड, इलाहाबाद-211 001 (उ.प्र.)	उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, आंबेडकर नगर, आजमगढ, बांदा, बलरामपूर, बलियां, बस्ती, चंदौली, चित्रकूट, देवरीया, फैजाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंदा, गोरखंपुर, जौनपुर, कौशम्बी, मिर्जापुर, मउ, महाराजगंज, प्रतापगढ, संत रविदास नगरए रायबरेलीए श्रावस्तीए संत कबीरनगरए सिद्धार्थ नगरए सोनभद्रए सुल्तानपुरए वाराणसी, जिले	एस.टी.डी कोडः (0532) दुरभाष : 2250329, 2441491 फैक्स : 2644964
	उपअंचल कार्यालय			
03	भोपाल	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ई-8/23, बसंत कुंज, अरेरा कॉलोनी,	मध्यप्रदेश	एस.टी.डी कोडः (0755) दुरभाष : 2420775, 2445270

		भोपाल-462039		फैक्स : 2429997 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
04	देहरादून	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इंदिरा नगर, एशियन स्कूल, देहरादून 248006, उत्तराखंड	उत्तराखंड	एस.टी.डी कोड:(0135) दुरभाष : 2769780 फैक्स : 2769794
05	रायपुर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अवंती विहार कालोनी, मेन रोड, नाले के पास, रायपुर - 492006, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	एस.टी.डी कोड:(0771) दुरभाष : 2442204 फैक्स : 2442204
च.	उत्तरी अंचल कार्यालय jtccefaridabad@explosives.gov.in			
01	फरीदाबाद	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, हॉल नं. 502, 507, लेवल 5, ब्लॉक नं. बी, पुराना सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-4, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)	दिल्ली, जम्मु, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चंडीगढ़ के संघशासित क्षेत्र	एस.टी.डी कोड:(0129) दुरभाष : 2410730, 241770, 2410732, 2410734, 2410731, 2421388 फैक्स : 2410733
	उपअंचल कार्यालय			
02	चंडीगढ़	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, शॉप कम ऑफिस बिल्डींग, 1134/1135, सेक्टर-22/बी, चंडीगढ़ - 160002	पंजाब, जम्मू और कश्मिर, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़	एस.टी.डी कोड :(0172) दुरभाष : 2702586, 2727234 फैक्स : 2725839
	उपअंचल कार्यालय			
03	जयपुर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आम्रपाली रोड, आम्रपाली पावर हाउस के पास, वैशाली नगर, जयपुर-302004	राजस्थान	एस.टी.डी कोड: (0141) दुरभाष : 2356731, 2356781 फैक्स : 2350279
छ.	परिक्षण केंद्र			
01	गोंडखैरी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, परीक्षण केंद्र, 18 किमी, अमरावती रोड, गोंडखैरी, नागपुर-440023	नागपुर, अमरावती	एस.टी.डी कोड:(07104) दुरभाष : 280374, 280305 फैक्स : 280565

		(महा)		
ज.	आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, (एफ.आर.डी.सी.)			
01	सिवाकासी	आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, ग्राम - अनैयुर, ईएसआय अस्पताल के पिछे, सिवाकासी (पश्चिम), जिला- विरूदुनगर 626124 (तामिलनाडु)	-	एस.टी.डी कोड : (04562) दुरभाष : 254402 फैक्स : 254404

वेतन तथा लेखा कार्यालय

01	नागपुर	वेतन तथा लेखा अधिकारी सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-सी, पहिली मंजिल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006 (महा)	-	एस.टी.डी कोड: (0712) दुरभाष : 2510819 फैक्स : 2510819

परिशिष्ट-03

संगठन के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद

पद का नाम	मु.का.	डी.टी.एस. गोंडखैरी	एफआर डीसी	चेन्नई	कोलकाता	फरिदाबाद	आगरा	मुंबई	उप-अंचल कार्यालय	कुल
मु.वि.नि.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
सं.मु.वि.नि.	2	0	0	1	1	1	1	1	0	**7**
उप मु.वि.नि.	4	0	1	1	1	1	1	1	13	**23**
वि.नि.	6	1	1	5	4	4	4	5	16	**46**
उप वि.नि.	2	1	2	7	6	3	4	6	29	**60**
प्र.अ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
ले.अ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
निजी सचिव	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
हिन्दी अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
वरिष्ठ तकनीकी सहायक	0	3	2	0	0	0	0	0	0	**5**
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
आशुलिपिक-I	4	0	0	1	1	1	1	2	0	**10**
कार्यालय अधिक्षक	4	0	0	3	3	3	3	3	0	**19**
सहायक	9	1	0	2	2	3	2	2	13	**34**
पुस्त.सहायक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
लेखापाल	1	0	0	1	1	1	1	1	0	**6**
उ.श्रे.लि.	12	2	1	9	8	4	5	9	21	**71**
नि.श्रे.लि.	18	1	1	5	3	3	4	4	19	**58**
आशुलिपिक --II	2	1	0	1	1	1	1	1	13	**21**
आशुलिपिक -III	1	0	1	2	1	1	1	1	13	**21**
कनिष्ठ तकनीकी सहायक	0	4	2	0	0	0	0	0	0	**6**
कनिष्ठ हिन्दी अधिकारी	0	0	0	1	1	1	1	1	0	**5**
चालक	2	1	1	1	1	1	1	1	13	**22**

ग्रुप डी	10	5	4	5	5	4	5	5	16	**59**
कुल	**84**	**20**	**16**	**45**	**39**	**32**	**35**	**43**	**166**	**480**

परिशिष्ट -04

वर्ष 2012-2013 के दौरान विस्फोटकों का उत्पादन

क्रं	विवरण	वर्ग	उत्पादन किलो/मीटर/संख्या
1	गन पावडर	1 प्रभाग 0	577746.9
2	नाईट्रेट मिश्रण	2 प्रभाग 0	267275996.2
3	एस एम ई	2 प्रभाग 0	495946154.8
4	पीईटीएन + कास्ट बुस्टर	3 प्रभाग 2	5656526.8
5	सेफ्टी फ्यूज	6 प्रभाग 1	77177536.0
6	डिटोनेटर फ्यूज	6 प्रभाग 2	634924289.0
7	डिटोनेटर	6 प्रभाग 3	992230059.0
8	माइक्रो कॉर्ड	7 प्रभाग 3	122165.0

परिशिष्ट -05

विस्फोटकों का आयात तथा निर्यात

<u>आयात</u> :-

वर्ष 2012-2013 के दौरान शॉर्ट डिले डिटोनेटर तथा विशिष्ट प्रकार के विस्फोटकों के आयात के लिये **<u>145 अनुज्ञप्तियां</u>** प्रदान की गयी, जिनका प्रयोग आईल इंडिया लि., केर्न एनर्जी इंडिया लि., बी.जी.एक्प्लोरेशन अण्ड प्रोडक्शन इंडिया लि., एचएलएस एशिया लि., आईल एण्ड नॅचरल गैस कॉर्पोरेशन लि., नीको रिसोर्सेस लि., रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि., जीओइन्प्रो पेट्रोलियम लि., ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉ. लि., जोशी टेक्नोलॉजीज इन्टरनॅशनल इंक., श्लुमबरजर एशिया सर्व्हीसेस लि., गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉ. लि., इलेक्ट्रोनीक्स कॉप. ऑफ इंडिया लि., इंडियन एक्स्प्लोझिव्स लि., राजस्थान एक्स्प्लोझिव्स एण्ड केमिकल लि., आयडियल डिटोनेटर प्रा. लि., सेलन एक्स्प्लोरेशन टेक्नोलॉजी लि., फोकस एनर्जी लि., प्रीमिअर एक्स्प्लोझिव्स लि., ओएओ "गॅसप्रोम", प्रीमिअर आइल (नार्थ ईस्ट इंडीया) बीवी, इसार आइल लि., एण्ड मरीन सेफ्टी प्रोडक्ट्स, एएस मोलूभोय एण्ड सन्स, एसएचएम शिपकेयर फॉर शिपिंग सिग्नल्स (पायरोटेक्निक्स) और श्रीजन सिस्टम प्रा.लि. पायरोटेक्नीक स्केयर कारट्रेजेस के प्रयोग हेतु (एण्टी बर्ड डिवायसेस), एअर पोर्ट एथोरिटी ऑफ इंडिया एण्ड एअर फोर्स स्टेशन के उपयोग के द्वारा किया गया । आयात किए गए विस्फोटको का मुल्य **<u>रू 45.36 करोड</u>** था ।

<u>निर्यात</u> :-

वर्ष 2012-2013 के दौरान **330 अनुज्ञप्तियां** निर्यात के लिये जारी की गई । निर्यात किए गए विस्फोटको का मूल्य **<u>रू 203.74 करोड</u>** था ।

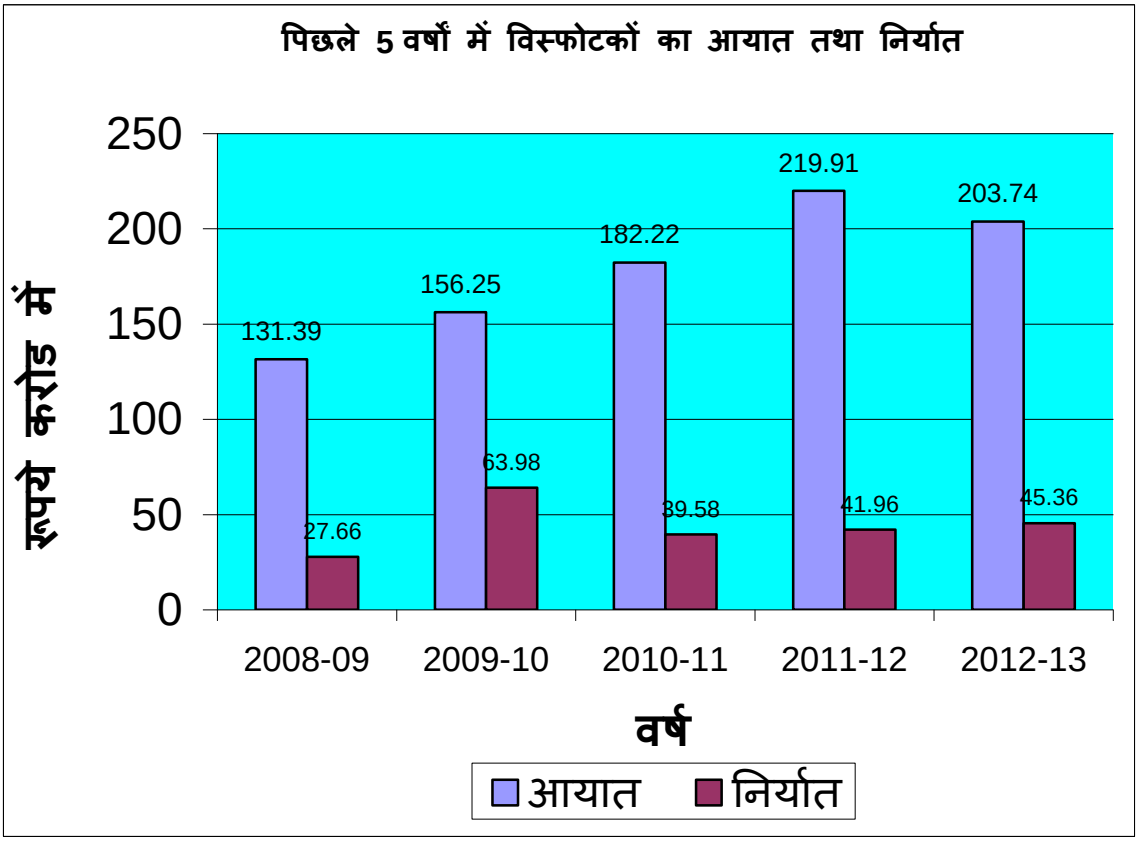
पिछले 5 वर्षों में विस्फोटकों का आयात तथा निर्यात
250
200
150
100
50
0
रुपये करोड में
131.39
27.66
156.25
63.98
182.22
39.58
219.91
41.96
203.74
45.36
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
वर्ष
आयात
निर्यात

परिशिष्ट -06

वर्ष 2012-2013 के दौरान विस्फोटकों का नष्टीकरण

वर्ग -1	181.55 कि.ग्रा.
वर्ग -2	134858.858 कि.ग्रा.
वर्ग -3 प्रभाग 2	1425.05 कि.ग्रा.
वर्ग -6 प्रभाग 1	47927.75 मीटर
वर्ग -6 प्रभाग 1	*19969 संख्या
वर्ग -6 प्रभाग 2	19299.6 मीटर
वर्ग -6 प्रभाग 2	**67497 संख्या
वर्ग -6 प्रभाग 3	189069 संख्या
वर्ग -7 प्रभाग 2	24371.315कि.ग्रा.
वर्ग -7 प्रभाग 2	***1269 संख्या
अमोनियम नाइट्रेट	902.8 कि.ग्रा.

* डिले इग्नाइटर/ पीसी डिस्क

** परकशन कैप्स

*** हैन्ड फ्लेर

परिशिष्ट -07

गैस सिलेण्डर्स, वाल्व तथा रेगुलेटर्स का उत्पादन, आयात और निर्यात

<u>गैस सिलेण्डर तथा वाल्व:</u>

वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान सिलेण्डर वाल्व तथा रेग्युलेटरों के उत्पादन का तुलानात्मक विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. संख्या	**उत्पाद का विवरण**	**वर्ष के दौरान विनिर्मित (संख्या)**		
		2010-11	**2011-12**	**2012-13**
1.	निम्नलिखित के लिए वेल्ड किये हुए लोड कार्बन स्टील गैस सिलेण्डर :			
क.	एलपीजी	1,02,36,540	1,01,20,400	28,09,740
ख.	डिजॉल्ड ऐसीटिलीन गैस	7,330	6,750	1,680
ग.	अन्य कम दाब वाली द्रवित गैस	5,30,200	3,35,650	1,11,900
	योग (क+ख+ग)	**1,07,74,074**	**1,04,62,800**	**29,23,320**
2.	**कम दाब वाले द्रवित गैस के लिए वेल्डेड बडे कन्टेनर**	**40,450**	**37,740**	**11,400**
3.	स्थायी तथा उच्च दाब के द्रवित गैस के लिए सीमलेस स्टील सिलेण्डर	**10,11,958**	**7,58,856**	**9,15,566**
4.	निम्नलिखित के लिए वाल्व:			
क.	एलपीजी सिलेंण्डर	**1,70,15,200**	**1,75,13,390**	65,11,640
ख.	अन्य गैस सिलेण्डरों के लिए	20,12,210	16,20,710	9,38,650
	योग (क+ख)	**1,90,27,410**	**1,91,34,100**	**74,50,290**
5.	कम दाबवाले द्रवित पेट्रोलियम गैस रेग्युलेटर	55,80,000	57,70,000	41,20,300

<u>सिलेण्डरों का आयात</u> :

व्यापार तथा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाय प्यूरिटी पर्मनेन्ट गैस तथा गैस मिश्रण सिलेण्डरों में भरकर आयात करने की आवश्यकता होती है । इसलिए विभिन्न देशों से अधिक मात्रा में सिलेण्डरों के आयात के लिये स्वीकृति देने की आवश्यकता होती है । वर्ष 2012-2013 के दौरान विभिन्न गैसो/गैस मिश्रण से भरे **<u>40,047</u>** सिलेण्डरों के आयात तथा ऑटोमोबाइल में प्रयोग हेतु खाली सीएनजी सिलेंडर सहित संपीडित गैस से भरने हेतु **<u>1,55,671</u>** खाली सिलेण्डरों के आयात के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की गई ।

<u>सिलेण्डरों का निर्यात</u> :

वर्ष 2012-2013 के दौरान कुल 3,18,430 भरे हुए सिलेण्डर्स का निर्यात हुआ जिससे 67,18,16,180/- करोड रूपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ।

<u>वाल्व तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस रेग्युलेटर्स का निर्यात</u> :

कुल 1,30,150 वाल्व तथा 1,10,600 एलपीजी रेग्युलेटर्स का वर्ष 2012-2013 के दौरान निर्यात किया गया जिससे कुल रूपये 68,50,485/- तथा रू. 28,35,650/- की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ।

<u>सिलेण्डर्स में भरे संपीडीत गैस का निर्यात</u> :

वर्ष 2012-2013 के दौरान 14,236 खाली सिलेण्डर्स/कन्टेनर्स को आयात करके तथा गैस से भरकर पुन: निर्यात किया गया ।

परिशिष्ट-8

वॉल्व विनिर्माताओं की सूची

(01.04.2012 से 31.03.2013 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं	कंपनियों के नाम तथा पते	गैस सर्विस
1.	मेसर्स सी.वी.के. इंडिया इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	एससी वॉल्व एलपीजी
2.	मेसर्स परेरहत फोर्ज	सीएनजी वॉल्व
3.	मेसर्स सनरेज इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	एससी वॉल्व
4.	मेसर्स श्रीधर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	एससी वॉल्व
5.	मेसर्स ओलिंपिक इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	एससी वॉल्व

परिशिष्ट -09

<u>एलपीजी सिलेण्डर्स के विनिर्माताओं की सूची</u>

(01.04.2012 से 31.03.2013 के दौरान अनुमोदित)

क्रम. सं.	पार्टी का नाम तथा पता
1.	मेसर्स एस.वी. इंजीनियरिंग वर्क्स, सर्वे नंबर 264, बोनथापल्ली ग्राम, (औद्योगिक क्षेत्र), जिनाराम मंडल, जिला - मेडक -. 502 313 (आंध्रप्रदेश)
2.	मेसर्स भगवती सिलेंडर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स, द्वारा मुकेश कुमार चौधरी, अलीगंज, पोस्ट बांका, जिला - बांका (बिहार) -813 102
3.	मेसर्स साबू एलपीजी इक्विप्मन्ट प्रा. लिमिटेड, बेलसोंडा नानगांव रोड, गांव बेलसोंडा, जिला -. महासमुंद, छत्तीसगढ़ - 493445
4.	मेसर्स परफेक्ट सिलेंडर्स एन फैब, खसरा नंबर 039, किला नंबर 3, 8, 22 फुट नेकपुर रोड, (रावल इंटरनेशनल स्कूल के पास), नांगला गुजरन औद्योगिक क्षेत्र, सोहना रोड, डाकघर पाली, फरीदाबाद - 121 004 (हरियाणा)
5.	मेसर्स ओलिंपिक सिलेंडर्स प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 147/7/1, 44 फीट. रोड, गांव रोहाड, 43 किलोमीटर मील पत्थर के पास, जिला - झज्जर, बहादुर गढ़ - 124 507 (हरियाणा)
6.	मेसर्स पनाम सिलेंडर्स प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं .11, भतौली कलान, हिमुडा औद्योगिक क्षेत्र, बद्दी, जिला - सोलन, हिमाचल प्रदेश 173 205

एलपीजी रेगुलेटर्स के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2012 से 31.03.2013 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	पार्टी का नाम तथा पता
1	मेसर्स विपाशा इंजीनियरिंग, बी-3/11 बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र, नागपुर
2	मेसर्स हर्ष एंटरप्राइजेज, प्लॉट नंबर ई 804, 22 फीट रोड, दबुआ कालोनी, एन.आई.टी. फरीदाबाद
3	मेसर्स जे.एस. इंजीनियरिंग सिस्टम्स, गांव लाखरी, फज़लपुर, मिनी बाईपास, दिल्ली रोड, मुरादाबाद
4	मेसर्स ग्लोबल इंडिया, 8/8, वेदव्यास पुरी, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली बाईपास रोड, मेरठ - 250 002

ऑटो एलपीजी कंटेनर के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2012 से 31.03.2013 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	कंपनी का नाम तथा पता
1.	मेसर्स आर. एम. सिलेण्डर्स प्रा. लि., युनिट II, 404 विनायक अपार्टमेंट्स, डा. भूमन्ना गली, बरकतपूरा, हैदराबाद- 500 029
2.	मेसर्स इकॉन सिलेंडर्स (प्रा) लिमिटेड, प्लॉट नंबर 4, 5वां क्रॉस, जी ब्लॉक, ऑटोनगर, विशाखापट्टनम - 530 012

वाल्व के विनिर्माताओं की सूची
(01.04.2012 से 31.03.2013 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	**कंपनी का नाम तथा पता**
1.	मेसर्स ओलिंपिक इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नंबर 66, सेक्टर -6, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव - 122 050 (हरियाणा)
2.	मेसर्स सी.वी.के. इंडिया इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ई -2, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदराबाद, जिला- बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश)
3.	मेसर्स परेरहत फोर्ज, 23, औद्योगिक एस्टेट, तेलीयारगंज, इलाहाबाद - 211 004
4.	मेसर्स श्रीधर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, एन -22, सेक्टर -3, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली - 110 039

परिशिष्ट -11

अनुमोदित दाबपात्र फैब्रीकेटर की सूची
(01.04.2012 से 31.03.2013 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	कंपनी का नाम तथा पता
1.	मल्टी मैक् इंजीनियर्स, 314/4, वन्नानकोइल थोट्टम, जयप्रकाश नगर, गणपति, कोयंबटूर
2.	अकॉस्टिक्स इंडिया प्रा लिमिटेड, 377, राजाराम सलाई, के.के. नगर, थिरूवीरापल्ली - 620 021 (तमिलनाडु)
3.	अबैकस हीट ट्रांस्फर लिमिटेड, डी-15/4, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज II, नई दिल्ली - 110 020
4.	फिल्स हैवी इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड, हरीचंद टेक्सटाइल मिल्स परिसर, एलबीएस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई
5.	यूरेस्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नं. 56, ठाणे बेलापुर रोड, कालवे, ठाणे - 400 605
6.	एस्सार हेवी इंजीनियरिंग सर्वीसेज (ईपीआईएल का एक यूनिट), 27 किमी. सूरत हजीरा रोड, हजीरा रोड, सूरत - 394 270
7.	मंगला स्टील उद्योग प्रा. लिमिटेड, एस -29, चाणक्य पॅलेस, पार्ट II, जनकपुरी, सी-1, चौक, दिल्ली - 110059
8.	एमटेक रेलकार इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, गांव व डाकघर. सडकेरगढ़ जिला - फतेहगढ़ साहिब - 140040

परिशिष्ट -12

2011-2012 के दौरान पेट्रोलियम वेसल्स के परीक्षण

मुंबई, अलंग (गुजरात), कोलकाता, विशाखापट्टनम, मंगलौर, चेन्नई तथा कोचिन बंदरगाह पर स्थित पेट्रोलियम टैंकर वेसल्स के ऑईल टैंक पंप रूम, आदि के परीक्षण के पश्चात इस संस्थान के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2012-2013 के दौरान **1854** गैस-फ्री प्रमाणपत्र जारी किये गए ।

यद्यपी शिप ब्रेकिंग याईस में पुरजे खोलकर तथा काटकर तोडने के लिए योग्य टँकर, पेट्रोलियम वहन पात्र नही है, फिर भी इससे जुडे/ संबंधित खतरो तथा कामगारो की सुरक्षा को देखते हुए, संगठन, डॉक एन्ट्री तथा मॅन एन्ट्री के प्रयोजन के लिए गैस-फ्री कंडीशन्स के जाँच तथा परीक्षण के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है । इससे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को बढने तथा विश्व के दुसरे सबसे बडे रूप मे विकसित होने मे मदद हुई है ।

परिशिष्ट -13

<u>न्यायालय में उपस्थितिः</u>

वर्ष 2012-2013 के दौरान विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोजन के मामलो में इस संगठन के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों ने **51** मौको पर अदालतों मे एक्स्पर्ट तकनिकी साक्ष्य दी।

परिशिष्ट -14

01.04.2012 से 31.03.2013 के दौरान रिफाइनरियों के कार्य

अनु .क्र.	परिष्करण शाला (रिफायनरी) का नाम	क्रुड ऑयल प्रोसेस्ड/ निर्माण	स्थापित क्षमता	एलपीजी निर्माण	एलपीजी बिक्री	दुर्घटनाओं की संख्या	निर्यात	
		एमएमटी	एमएमटी	एमएमटी	एमएमटी		संख्या (एमटी में)	मूल्य (करोड में)
1.	आयसोसीएल, दिगबोई	0.660	0.65	0.0082	0.0082	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आयओसीएल, पानीपत	15.126	15	0.713	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आयओसीएल, गुवाहाटी	0.956	1	0.0386	0.0385	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आयओसीएल, बरौनी	6.34	6	0.396	0.308	1	0.994	4511
5.	आयओसीएल, हल्दीया	7.49	7.5	0.2177	0.216	1	0.470	0
6	आयओसीएल, वडोदरा	13.15	13.7	0.489	0.491	2	0.656	3807.44
7	आयओसीएल, मथुरा	8.56	8	0.3046	0.3045	1	शून्य	शून्य
8	आयओसीएल, बोंगईगांव	2.356	2.35	0.0512	0.0509	शून्य	शून्य	शून्य
9	एचपीसीएल, मुंबई	7.74	6.5	0.4404	0.4351	0	0.67529	2959.40
10	एचपीसीएल, वैजाक	8.028	8.3	0.3827	0.384	6	0.554	2134.66
11	बीपीसीएल, मुंबई	0	12	0.45	3.88	शून्य	शून्य	शून्य
12	एस्सार ऑईल लि.	19.768	20	0.821	0.818	0	6.26	0
13	बीपीसीएल कोच्ची रिफायनरी	10.105	9.5	0.471	0.467	1	0.856	3319.48

14	सीपीसीएल लि. कावेरी बेसिन रिफायनरी	0.64	1	0.0198	0	0	0	0
15	सीपीसीएल, मनाली	9.1	10.5	0.311	0	12	9.74	3510
16	नुमालीगढ रिफायनरी आसाम	2.4780	3.0	0.047631	0.47576	0	0.119547	598.326
17	आरआयएल जामनगर एसईझैड रिफायनरी डिवीजन	35.892	33	0.949	0.949	0	33.577	176668
18	डीटीए रिफायनरी डिवीजन	32.614	33	0.764	0.764	1	13.267	63556
19	एमआरपीएल	14.40	15	0.28089	0.27878	0	6.837	32269
20	भारत ओमान रिफायनरी	5.7	6	0.182	0.177	0	0	**0**
21	एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड	4.90	9	0.476	0.463	0	0	0
22	ओएनजीसी लिमिटेड, ताटीपाका रिफाइनरी	0.056594	0.06	0	0	0	0	0
	योग	**20.60596**	**221.06**	**7.813721**	**10.08056**	**26**	**74.00584**	**293333.3**

कुल स्थापित क्षमता = **206.0596** एमएमटी कुल क्रूड ऑयल प्रोसेस्ड = **221.06** एमएमटी
कुल निर्मित एलपीजी = **7.8137** एमएमटी कुल निर्मित एलपीजी = **10.0805** एमएमटी